EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
Principal Chief Operations Manager
Hajipur

NO.ECR/Optg.Safety/G&SR/24/505, Date: 10.01.2025

**Divisional Railway Manager**
East Central Railway

**DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ**

**Sub:** Correction slip No. 09 to General & Subsidiary Rule Book of ECR, Hindi Edition –2018

Correction slip No. 09 to General & Subsidiary Rule Book, Edition-2018 (Hindi version) of East Central Railway is issued and being sent for necessary compliance.

Divisions are requested to ensure immediate circulation of its copies in sufficient number for updating G&SR Hindi book and implementing the same with immediate effect.

NOTE:-There are the suggestions sent to Rly Bd. by a SAG member committee of three Rlys including ECR & is in process of issue by Rly Bd. Correction required if any be intimated later, if required.

**DA:-** As above.

Dy.COM/Gen.
ECR.Hajipur 10.01.25

**Copy to:-**
1. Advisor Safety Rly. Board/New Delhi
2. Secy. to GM – for kind information of GM
3. Secy. to AGM
4. PCSO, PCCM, PCE, PCEE, PCME, PCSTE, CELE, CMPE/ECR
5. PCOM – ER, SER, NER, NCR, NFR for information pl.
6. Sr. DOM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ – for compliance pl.
7. Sr. DSO- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ- for compliance pl.
8. PRINCIPAL – ZRTI/MFP
9. PRINCIPAL – ZRTI/ Bhuli/Dhanbad
10. IN CHARGE- SAFETY CAMP/DHANBAD
11. CAO-North/MHX
12. CAO- South/MHX

## कार्यकारी सारांश

स्वचालित ब्लॉक पद्धति में पालन किए जाने वाले सामान्य नियम 9.12 के लिए एकीकृत सहायक नियम (यूएसआर) बनाने के लिए चार सदस्यीय एस.ए.जी. समिति का गठन किया गया था। इन नियमों को बनाते समय क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त फीडबैक को भी शामिल किया गया है।

इसका मुख्य उद्देश्य स्वचालित सिग्नलिंग की खराबी के दौरान गाड़ियों के संचालन के लिए स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को स्पष्ट निर्देश प्रदान करना और ऐसी खराबियों के दौरान लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को जारी किए जाने वाले कागजी प्राधिकारों की संख्या को न्यूनतम करना है। जिसके मुख्य पहलू इस प्रकार हैं।

1. नया पैरा 9.12/1 जोड़ा गया है, जिसमें स्वचालित ब्लॉक पद्धति में सिगनल/सिगनलों की खराबी के दौरान गाड़ी का संचालन नियम–9.02 (दोहरी लाइन) और नियम–9.07 (इकहरी लाइन) के अनुसार किये जाने का उल्लेख किया गया है।

2. फॉर्म – टी/ए 912, टी/डी 912, टी/बी 912, टी/सी 912, टी/बी 602 और टी/510 को उन परिस्थितियों, जिनमें कि उन्हे जारी किया जाना है, के अनुसार फिर से तैयार किया गया है (इनमें निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक प्राधिकार सम्मलित हैं):
   क) 'ऑन' स्थिति में सिगनल को पार करना
   ख) लाइन क्लियर के बिना आगे बढ़ने का प्राधिकार
   ग) वह परिस्थिति जिसके अन्तर्गत प्राधिकार दिया गया है
   घ) सतर्कता आदेश जिसमें पालन की जाने वाली गति निर्दिष्ट की गई हो
   ड.) लाइन क्लियर टिकट
   टी/सी 912 – स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में अवरोध या दुर्घटना की स्थिति में सहायता इंजन/ट्रेन को अवरोधित लाइन पर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

3. स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग क्षेत्रों में अस्थायी इकहरी लाइन कार्यप्रणाली के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में अलग–अलग प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। अपनाई जा रही विभिन्न प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए, एक नया फॉर्म टी/ई–912 "स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग क्षेत्रों में दोहरी लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के लिए प्राधिकार" प्रारम्भ किया गया है।

4. एकीकृत सहायक नियम 9.12 को उन खराबियों के मामलों में गाड़ी संचालन नियमों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तैयार किया गया है जो सभी क्षेत्रीय रेलवे के लिए समान प्रकृति की हैं। विशेष मामले अलग–अलग रेलवे में अलग–अलग प्रकृति के होंगे। प्रस्तावित यू.एस.आर. में दोहरी लाइन और इकहरी लाइन खण्ड में स्वचालित सिग्नलिंग की खराबी के दौरान गाड़ी संचालन के आधारभूत सिद्धांत को लिया गया है। रेलवे द्वारा विशेष मामलों (जैसे कि चार. लाइनें, छह लाइनें इत्यादि) में गाड़ी संचालन के लिए समान सिद्धांतों का उपयोग/लागू किया जाना चाहिए।

5. वर्तमान में, 'ऑन' या ख़राब की स्थिति में अर्ध–स्वचल सिगनल को पास करने के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं है। इसके लिए फॉर्म टी/369(3बी) जारी करने का प्रावधान किया गया है। एकीकृत सहायक नियम के अन्तर्गत टी/369(3बी) के प्रारूप को आवश्यक संशोधन के साथ जारी किया जा रहा है। ऐसे मामलों के लिए टी/ए 912 का उपयोग नहीं किया जाएगा।

6. टी/ए 912 के उपयोग के मामले को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और इसे स्वतंत्र प्राधिकार के रूप में उपयोग नहीं किया गया है।

7. फिक्स्ड टेलीफोन मय सी.यू.जी. सिम, को संचार के साधन के रूप में अनुमति दी जा रही है। इसके उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना है:
   क) सी.यू.जी. फोन का उपयोग एफसीटी (फिक्स्ड सेल्युलर टेलीफोन) के रूप में किया जायेगा।
   ख) प्रत्येक स्टेशन का एक विशिष्ट सी.यू.जी. नंबर होगा और इसे संचालन समय सारणी में उल्लेखित किया जायेगा।

ग) सी.यू.जी. फोन हमेशा 'ऑन ड्यूटी' स्टेशन मास्टर के पास रहेगा, जिसे कि वह आवश्यक उपकरण के रुप में अपने रिलीवर को लिखित में सौंपेगा।

घ) स्वचालित सिगनलिंग क्षेत्र की कमिशनिंग के समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक स्टेशन पर सी.यू.जी. आधारित एफसीटी फोन प्रदान किया जाये।

8. सामान्य नियम 9.12 का एकीकृत सहायक नियम और प्रासंगिक प्राधिकार प्रपत्र संलग्न हैं, जिनका सारांश इस प्रकार है:

**स.नि. 9.12/1: स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दो या अधिक ब्लॉक स्टेशनों के मध्य सिगनल या सिगनलों की खराबी के मामले में;**

स.नि. 9.12/2(क): स्वचालित ब्लॉक पद्धति में, जबकि संचार के साधन उपलब्ध हों, दो या अधिक ब्लॉक स्टेशनों के मध्य सिगनल/सिगनलों की खराबी कुछ समय तक रहने अथवा इसके कारण अत्यधिक विलम्ब होने की संभावना हो.

स.नि. 9.12/2(ख): दोहरी लाइन पर, जबकि कोई भी संचार का साधन उपलब्ध नहीं हो, सभी सिगनलों की खराबी कुछ समय तक रहने एवं इसके कारण अत्यधिक विलम्ब होने की संभावना हो.

स.नि. 9.12/3: स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दोहरी लाईन पर, जबकि सिगनल परिचालित हों और संचार साधन उपलब्ध हो, एक लाइन के अवरूद्ध होने की स्थिति में गाड़ियों के संचालन के लिए नियम एवं विनियम,

स.नि.9.12/4 स्वचालित ब्लॉक पद्धति में, जबकि कोई भी संचार का साधन उपलब्ध नहीं हो, इकहरी लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग की खराबी के मामलों के सम्बन्ध में नियम और विनियम।

स. नि. 9.12/5 स्वचालित ब्लॉक पद्धति में, कोई भी संचार का साधन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, स्वचालित सिग्नलिंग की खराबी की स्थिति में एक लाइन पर अवरोध के कारण, दोहरी लाईन खण्ड पर इकहरी लाइन कार्य प्रणाली के लिए नियम और विनियम

स.नि. 9.12/6: स्वचालित ब्लॉक पद्धति में इकहरी लाइन खंडों पर, जब संचार के साधन उपलब्ध हो परन्तु यातायात की दिशा स्थापित नहीं की जा सकती हो, के लिए नियम और विनियम

9. तदनुसार सामान्य नियम 9.12 के एकीकृत सहायक नियम और प्रासंगिक प्राधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं।

पूर्व मध्य रेल

अंतिम संशोधन पर्ची संख्या 08, दिनांक 17.08.2023

**संशोधन पर्ची संख्या 09**

(सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक - 2018)

02 मदों सहित निम्नलिखित संशोधन सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक (हिन्दी संस्करण-2018) में किए गये हैं जो कि आवश्यक अनुपालन हेतु भेजे जा रहे हैं।

**मद संख्या: 01**

पृष्ठ संख्या 301 से 317 पर वर्तमान सहायक नियम 9.12 को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें-

(सामान्य नियम 9.12 के लिए एकीकृत सहायक नियम)

9.12 स्वचालित सिगनल व्यवस्था बिगड़ जाने पर कार्यविधिः- यदि स्वचालित सिगनल व्यवस्था की खराबी कुछ समय तक रहने की या इसके कारण गाड़ियों में काफी विलम्ब होने की संभावना है तो गाड़ियों का संचालन संबंधित सेक्शन या सेक्शनों पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशनों तक विशेष अनुदेशों के अधीन किया जाएगा।

स.नि.9.12/1 स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दो या अधिक ब्लॉक स्टेशनों के मध्य सिगनल या सिगनलों की खराबी के मामले में -

गाड़ी संचालन सामान्यतः नियम 9.02 या 9.07, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

स.नि.9.12/2-

स.नि.9.12/2- (क) स्वचालित ब्लॉक पद्धति में, जबकि संचार के साधन उपलब्ध हों, दो या अधिक ब्लॉक स्टेशनों के मध्य सिगनल/सिगनलों की खराबी कुछ समय तक रहने अथवा इसके कारण अत्यधिक विलम्ब होने की संभावना होः-

निम्नलिखित उप-पैरा (i)या (ii)मे उल्लेखित परिस्थितियों में सिगनल/सिगनलों की खराबी को दीर्घकालिक खराबी माना जाए या नहीं, इसका निर्णय वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक/मंडल परिचालन प्रबंधक (प्रभारी) द्वारा लिया जायेगा।

i. स्वचालित ब्लॉक पद्धति के अन्तर्गत संचालित दो या अधिक ब्लॉक स्टेशनों वाले क्षेत्र में होने वाले सिगनल/सिगनलों की खराबी, जो कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बारे में एस एंड टी विभाग के पदाधिकारी द्वारा संबंधित वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता/मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता के अनुमोदन से मंडल के खण्ड नियंत्रक को लिखित रूप में सूचित किया गया है, या
ii. नियम 9.12/1 के अनुसार कार्य करने के दौरान, सिगनल/सिगनलों की खराबी के कारण गाड़ी परिचालन में अत्यधिक विलम्ब होने या होने की आशंका होने की स्थिति में।

सिगनल/सिगनलों के दीर्घकालिक खराबी के मामले में गाड़ी संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

1 (क) दीर्घकालिक खराबी की सूचना खण्ड नियंत्रक द्वारा निजी अंक के आदान-प्रदान के तहत संबंधित कार्यरत स्टेशन मास्टर को दी जाएगी।

(ख) किसी भी गाड़ी को प्रभावित खण्ड में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले उसे रोका जाएगा और स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी के लोको पायलट/मोटरमैन और ट्रेन मैनेजर को परिस्थितियों की सूचना दी जाएगी। खण्ड नियंत्रक और प्रभावित खंड के आगे के संबंधित स्टेशन मास्टर को भी सूचित किया जायेगा।

(ग) दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच के खण्ड को एक ब्लॉक खण्ड माना जाएगा और ब्लॉक खण्ड में गाड़ी कआवाजाही को दोनों छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(घ) इस कार्यप्रणाली को शुरू करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रभावित खण्ड में भेजी गई सभी गाड़ियां अगले स्टेशन पर पूर्ण रूप से पहुंच चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रभावित खण्ड में गाड़ियों को भेजने वाले सभी स्टेशनों के अर्ध-स्वचल/हस्तचालित प्रस्थान रोक सिगनल और प्रभावित खण्ड में गाड़ियों को रिसीव करने वाले सभी स्टेशनों के अर्ध.स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल को प्रारम्भ में हस्तचालित मोड में और 'ऑन' स्थिति में रखा गया है।

(ङ) स्टेशन मास्टर दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर को स्वचालित कार्यप्रणाली के निलम्बन के संबंध में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना देगा।

| | |
|---|---|
| द्वारा<br>स्टेशन मास्टर/X<br>नं ..................<br>...............................और...................................स्टेशनों के बीच स्वचालित ब्लॉक कार्य प्रणाली को............बजकर............मिनट पर.........(वजह) के कारण निलंबित कर दिया गया है। ट्रेन सिग्नलिंग, स्टेशन-से-स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन/ रेलवे ऑटो फोन/बीएसएनएल फोन/ फिक्स्ड टेलीफोन के साथ सीयूजी सिम अथवा कंट्रोल टेलीफोन/अति उच्च आवृत्ति (वीएचएफ) सेट के माध्यम से किया जाएगा।<br><br>निजी अंक (अंकों) में...............................(शब्दों में).......... | सेवा में<br>स्टेशन मास्टर/Y |
| द्वारा<br>स्टेशन मास्टर/Y<br>नं..............................<br>आपका नंबर .......................। समझ गया कि .......................और ...................स्टेशनों के बीच स्वचालित ब्लॉक कार्य प्रणाली को .........................बजकर .............मिनट पर .......................(वजह) के कारण निलंबित कर दिया गया है। ट्रेन सिग्नलिंग, स्टेशन --से -स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन/रेलवे ऑटो फोन/बीएसएनएल/फोन/फिक्स्ड टेलीफोन के साथ सीयूजी सिम अथवा कंट्रोल टेलीफोन/अति उच्च आवृति (वीएचएफ) सेट के माध्यम से किया जाएगा।<br>निजी अंक (अंकों में).........................(शब्दों में) .................................... | सेवा में<br>स्टेशन मास्टर/X |

2. प्रभावित खंड के पिछले वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित संचार के साधनों में से किसी एक के द्वारा गाड़ी के लिए 'लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा' यथा--

(क) स्टेशन से स्टेशन फिक्सड टेलीफोन, जहाँ उपलब्ध हो।

(ख) फिक्सड टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटो फोन और बीएसएनएल/ एमटीएनएल फोन के साथ कॉलर आईडी।

(ग) कन्ट्रोल टेलीफोन।

(घ) विशेष अनुदेशों के अधीन वीएचएफ सेट, लेकिन उन खंडों पर जहां सवारी गाड़ियां चलती हैं, वहां यह संचार के एकमात्र साधन के रूप में नहीं।

(ङ) फिक्स्ड टेलीफोन के साथ सीयूजी सिम, जो स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा केवल आधिकारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है।

नोट. ऐसे सभी मामलों में जहां लाइन क्लियर ट्रैक सर्किट/ एक्सल काउंटर के अलावा किसी अन्य संचार के साधन से प्राप्त/प्रदान किया जाता है, स्टेशन का नाम बोलने, तत्पश्चात अंतिम पूर्ववर्ती गाड़ी के लिए दिए गए निजी अंकों की परस्पर जांच करके डयूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर की पहचान स्थापित करने की प्रणाली अपनाई जाएगी।'

3. अगले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर ऐसा 'लाइन क्लियर" तब तक नहीं देगा जब तक-

(i) अंतिम पहले जाने वाली (पूर्वगामी) गाड़ी पूरी आ पहुँची है।

(ii) अंतिम पहले जाने वाली (पूर्वगामी) गाड़ी के पीछे के अर्ध-स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल को फिर से 'ऑन' कर दिया गया हो ।

(iii) लाइन, केवल अर्ध.स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल तक ही नहीं बल्कि अर्ध-स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक भी साफ हो।

(iv) उसके नियंत्रण में आने वाले समपार फाटक/फाटकों को बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन के साथ निजी अंकों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

(v) उसके नियंत्रण में आने वाले बाहरी साइडिंग/टर्नआउट के कांटे सही ढंग से सैट और तालित कर दिए गए हैं।

4. (क) निम्नलिखित स.नि. 9.12/2 (क) (5) में निर्धारित 'प्रस्थान प्राधिकार टी/डी-912 पर प्रभावित खंड में प्रवेश करने वाली पहली गाड़ी का लोको पायलट/मोटरमैन अत्यधिक सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगा और लागू अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए किसी भी परिस्थिति में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से नहीं चलेगा। यदि कोहरे, घुमाव या किसी अन्य कारण से दृश्यता साफ नहीं है, तो गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। सम्मुख कांटो, यदि

कोई हो, पर गति, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक प्रतिबंधित होगी। लोको पायलट/मोटरमैन जब तक अगले स्टेशन पर नहीं पहुँच जाता है, किसी अवरोध के लिए लगातार बाहर देखता रहेगा।

(ख) किसी भी गाड़ी को प्राधिकार टी/डी 912 सौंपकर ब्लॉक खण्ड में प्रवेश करने की अनुमति देने से पूर्व, स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रण में आने वाले गेट/गेटों को बंद करने के लिए गेटमैन से निजी अंक प्राप्त हो गए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गाड़ी भेजने वाले स्टेशन के नियंत्रण में आने वाले सभी पॉइंट्स, जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही प्रकार से सेट, क्लैम्प्ड और तालित कर दिए गए हैं।

5. स्टेशन मास्टर, स्वचालित ब्लॉक पद्धति में सिगनलों के दीर्घकालिक खराबी के दौरान, प्रभावित खण्ड में प्रवेश करने वाली प्रत्येक गाड़ी के लोको पायलट/मोटरमैन और ट्रेन मैनेजर को फॉर्म टी/डी 912 प्राधिकार देगा। लोको पायलट/मोटरमैन को प्रस्थान, स्वचालित, अर्ध–स्वचल/हस्तचालित और गेट सिगनल/सिगनलों, जिन्हें पार किया जाना है, को 'ऑन' अवस्था में पार करने के लिए अधिकृत करने वाले प्राधिकार पर इस/इन सिगनल/सिगनलों की पहचान संख्या/संख्याएँ भी अंकित की जायेगी। लोको पायलट/मोटरमैन, स्टार्टर/हस्तचालित/मिडसेक्शन गेट सिगनल को तभी पार करेगा, जब उसे वर्दीधारी रेलवे कर्मचारी द्वारा आगे बढो हाथ सिगनल दिखाया जा रहा हो। मिडसेक्शन गेट सिगनल के मामले में लोको पायलट/मोटरमैन समपार फाटक के सड़क यातायात के लिए बंद और तालित होना सुनिश्चित करने के पश्चात ही सर्तकता से समपार फाटक को पार करेगा।

6. आगमन स्टेशन पर पहुँचते समय गाड़ी का लोको पायलट/मोटरमैन आगमन स्टेशन के अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल /कॉलिंग–ऑन सिगनल के संकेत का पालन करेगा। यदि अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल /कॉलिंग–ऑन सिगनल कार्यरत स्थिति में नहीं है, तो अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तों को पूरा करने के बाद स्टेशन मास्टर फॉर्म टी/369(3बी) प्राधिकार जारी कर गाडी को आगमन के लिए एक वर्दीधारी रेलवे कर्मचारी को तैनात करेगा।

7. यह सुनिश्चित करने के बाद कि प्रभावित खंड के अगले स्टेशन पर पहली गाड़ी सुरक्षित पहुँच गई है, बाद की सभी गाड़ियों के लोको पायलट/मोटरमैन को लागू अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए अपनी सेक्शनल गति से चलने को अनुमत किया जायेगा। सम्मुख कांटो, यदि कोई हो, पर गति 15 किमी प्रति घंटा प्रतिबंधित रहेगी।

8. प्रत्येक गाड़ी द्वारा खंड साफ होने की सूचना पिछले स्टेशन को निजि अंक के आदान–प्रदान के साथ दी जायेगी। 'गाडी सिगनल रजिस्टर' को उपयोग में लाया जायेगा और इसमें गाड़ी संचालन से संबंधित सभी प्रविष्टियों को दर्ज किया जाएगा। प्रभावित खंड में होने वाले सभी गाड़ी संचालनों की सूचना खण्ड नियंत्रक को दी जायेगी।

9. जैसे ही एस.एंड.टी. पदाधिकारियों द्वारा सिगनल ठीक होने की सूचना लिखित रूप में प्राप्त हो वैसे ही स्वचालित ब्लॉक पद्धति में गाड़ियों के सामान्य संचालन को पुनः प्रारंभ करने के लिए खण्ड नियंत्रक की अनुमति प्राप्त की जाएगी। गाडी सिगनल रजिस्टर में संबंधित कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निजी अंकों के साथ एक संदेश का आदान–प्रदान किया जाएगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि खराबी के दौरान भेजी गई अंतिम गाड़ी अगले स्टेशन पर पूर्ण रूप से पहुंच गई है और खंड साफ है। सामान्य संचालन पुनः प्रारंभ होने की सूचना खण्ड नियंत्रक को निजी अंकों के आदान–प्रदान के साथ दी जाएगी।

द्वारा
स्टेशन मास्टर/X

सेवा में
स्टेशन मास्टर/Y

नं........................ खराबी के दौरान आपके स्टेशन से ...........बजकर .............मिनट पर भेजी गई अंतिम गाड़ी (संख्या और विवरण) .........................मेरे स्टेशन पर पूर्ण रूप से .................बजकर ........मिनट पर पहुँच गई है। गाड़ियों के संचालन की वर्तमान प्रणाली को रद्द करें।

निजी अंक (अंकों में)............................ (शब्दों में)............................

| | |
|---|---|
| द्वारा<br>स्टेशन मास्टर/Y | सेवा में<br>स्टेशन मास्टर/X |

नं......................आपका नं................। समझ गया कि खराबी के दौरान मेरे स्टेशन से ...........बजकर .............मिनट पर भेजी गई अंतिम गाड़ी (संख्या और विवरण) .........................आपके स्टेशन पर पूर्ण रूप से .................बजकर ........मिनट पर पहुँच गई है। गाड़ियों के संचालन की वर्तमान प्रणाली को रद्द करें।

निजी अंक (अंकों में)............................ (शब्दों में)............................

10. इस पद्धति के अनुसार गाड़ी संचालन संबंधित सभी रिकार्ड स्टेशन पर रखे जायेंगे और सैक्शन के परिवहन निरीक्षक इसकी जांच करेंगे और सामान्य संचालन पुनार्रम्भ होने के सात दिन के अंदर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक/ मंडल परिचालन प्रबंधक (प्रभारी) को रिपोर्ट भेजेंगे।

स.नि. 9.12/2(ख): दोहरी लाइन पर, जबकि कोई भी संचार का साघन उपलब्ध नहीं हो, सभी सिगनलों की खराबी कुछ समय तक रहने एवं इसके कारण अत्यधिक विलम्ब होने की संभावना हो

स्वचालित ब्लॉक पद्धति के अन्तर्गत संचालित दो या अधिक स्टेशनों के मध्य स्वचालित सिगनलिंग के खराब होने की स्थिति में और जब निम्नलिखित साधनों में से किसी के द्वारा भी लाइन क्लियर प्राप्त नहीं किया जा सकता हो यथा:–

(i) ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर जहां दो स्टेशनों के मध्य खण्ड का इंडिकेशन वी.डी.यू. पैनल पर उपलब्ध है।
(ii) स्टेशन से स्टेशन फिक्सड टेलीफोन, जहाँ उपलब्ध हो।
(iii) फिक्सड टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटो फोन और बीएसएनएल/एमटीएनएल फोन।
(iv) कन्ट्रोल टेलीफोन।
(v) विशेष अनुदेशों के अधीन वी.एच.एफ. सेट, लेकिन उन खंडों पर जहां सवारी गाड़ियां चलती हैं, वहां यह संचार के एकमात्र साधन के रूप में नहीं।
(vi) फिक्स्ड टेलीफोन मय सीयूजी सिम, जो स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा केवल आधिकारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है।

गाड़ी संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

(i) दो ब्लॉक स्टेशनों के मध्य संचालन को दोनों छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।
(ii) कांटो पर किसी गाडी के संचलन को प्राधिकृत करने से पहले, उन सभी कांटो, जिन पर प्रभावित क्षेत्र के अन्दर गाड़ियाँ चलेंगी, सही प्रकार से सैट और तालित किये जायेंगे।
(iii) स.नि. 9.12/2(ख) में जैसा निर्धारित किया गया है, के अनुसार किसी गाड़ी को स्टेशन से चलने की अनुमति देने से पहले इसे रोका जायेगा और स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी के लोको पायलट/मोटरमैन और ट्रेन मैनेजर को परिस्थितियों से अवगत कराया जायेगा।
(iv) स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्येक गाड़ी के लोको पायलट/मोटरमैन और ट्रेन मैनेजर को दिया जाने वाला प्राधिकार:– फॉर्म टी/बी 912 पर प्राधिकार लोको पायलट/मोटरमैन और ट्रेन मैनेजर को सौंपा जाएगा तथा रिकॉर्ड की प्रति स्टेशन मास्टर द्वारा रिकॉर्ड के रूप में रखी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे–
    (क) बिना लाइन क्लीयर का प्रस्थान प्राधिकार।
    (ख) लोको पायलट/मोटरमैन को एक प्राधिकार जिस पर प्रस्थान, स्वचालित, अर्ध–स्वचल, हस्तचालित और गेट सिगनल/सिगनलों, जिन्हें पार किया जाना है, को 'ऑन' अवस्था में पार करने के लिए अधिकृत करने वाले प्राधिकार पर इस/इन सिगनल/सिगनलों की पहचान संख्या /संख्याएँ भी अंकित की जायेगी। लोको पायलट/मोटरमैन, स्टार्टर सिगनल/हस्तचालित/मिडसेक्शन गेट सिगनल को तभी पार करेगा, जब उसे वर्दीधारी रेलवे कर्मचारी द्वारा आगे बढो हाथ सिगनल दिखाया जा रहा हो। मिडसेक्शन गेट सिगनल के

मामले में लोको पायलट/मोटरमैन समपार फाटक के सड़क यातायात के लिए बंद और तालित होना सुनिश्चित करने के पश्चात ही सर्तकता से समपार फाटक को पार करेगा।

(ग) एक सर्तकता आदेश जिसमें, गति, सीधी लाइन पर दृश्यता साफ होने पर 15 किलोमिटर प्रतिघंटा और जब लाइन के ऐसे भाग के पास पहुँच रहा हो अथवा उससे गुजर रहा हो, जहाँ पर दृश्यता घुमाव, अवरोध, वर्षा, कोहरा या किसी अन्य कारण से साफ नहीं हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित होगी। लोको पायलट/मोटरमैन को बाहरी साइडिंग/टर्नआउट के कांटों, यदि कोई हों, पर से गुजरने से पहले यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सही प्रकार से सैट और तालित किए गए हैं। सम्मुख कांटो पर गति 15 किमी प्रति घंटा प्रतिबंधित रहेगी।

(v) किसी भी गाड़ी को प्रभावित खंड में तब तक प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक छूटने वाली गाड़ी और इससे पहले गयी गाड़ी के बीच 25 मिनट का स्पष्ट अन्तराल नहीं हो।

(vi)(क) जब लोको पायलट/मोटरमैन लाइन के ऐसे भाग पर पहुँच रहा हो या वहाँ से गुजर रहा हो जहाँ सामने दृश्यता साफ न हो तो गाड़ी के आगे के संचलन का मार्गदर्शन करने के लिए हैंड सिगनलों के साथ सहायक लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर को पहले ही अवश्य भेज दिया जाये। आगे कड़ी निगरानी रखी जाये और इंजन की सीटी का बार–बार प्रयोग किया जाये।

(ख) किसी सुरंग में तभी प्रवेश किया जाये जब यह निश्चित हो जाये कि सुरंग साफ है। यदि इस विषय में कोई संदेह हो तो हैंड सिगनलों और पटाखों के साथ रेल कर्मचारी गाड़ी का मार्गदर्शन (पायलट) करेगा।

(vii)ट्रेन मैनेजर पीछे की ओर कड़ी निगरानी रखेगा और पीछे की तरफ से गाड़ी के आने को रोकने के लिए खतरा सिगनल दिखाने और यदि आवश्यक हो तो मौजूदा नियमों के अनुसार उसका बचाव करने के लिए तैयार रहेगा। सुरंगों वाले खंड में प्रवेश करने के पहले वह ई.एम.यू. इत्यादि पर साइड और टेल लाईट/लैम्प भी जला देगा।

(viii)यदि किसी कारणवश गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, तो ट्रेन मैनेजर पीछे की ओर गाड़ी से 250 मीटर के फासले पर एक पटाखा रखेगा और गाड़ी से 500 मीटर के फासले पर 10 मीटर के अन्तर से दो पटाखे रखकर गाडी का बचाव करेगा।

(ix) अगले स्टेशन पर पहुंचते समय लोको पायलट/मोटरमैन अपनी गाड़ी को अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल के बाहर खड़ी कर देगा और एक लम्बी सीटी बजायेगा। स्टेशन मास्टर एक वर्दीधारी रेल सेवक को तैनात करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के बाद कि अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तें पूरी कर ली गई हैं, गाड़ी को रिसीव करने के लिए फार्म संख्या टी/369 (3बी) प्राधिकार जारी करेगा। आगमन पर, सभी गाडीयों के लोको पायलट/मोटरमैन फॉर्म टी/बी 912 को आगमन स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सौंप देगा।

(x) गाड़ियों का संचालन तब तक इस पद्धति से किया जायेगा जब तक या तो सिगनल ठीक नहीं कर दिये जाते या एस. एंड.टी. पदाधिकारी द्वारा लिखित में संचार का कोई एक साधन फिर से चालू न कर दिया जाये।

(xi) जैसे ही सिगनल और संचार ठीक कर दिये जाये, गाड़ियों का सामान्य संचालन पुनः प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(xii)तथापि, जहाँ सिगनल चालू हालत में न रहें और संचार का कोई साधन पुनः चालू कर दिया जाये, वहाँ दोनों छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर तुरंत निम्नलिखित प्रारूप में संदेश का आदान–प्रदान करेंगे–

| | |
|---|---|
| द्वारा<br>स्टेशन मास्टर/X | सेवा में<br>स्टेशन मास्टर/Y |
| नं..................गाड़ी (संख्या और विवरण).................. पूर्ण रूप से ................ बजे पहुँच गई है। अंतिम गाड़ी (संख्या और विवरण) ........................ आपके स्टेशन को ................ बजे भेजी गई। गाड़ियों के संचालन की वर्तमान प्रणाली को रद्द करें। लाइन क्लियर ............................ के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा । पावती दें।<br><br>निजी अंक (अंकों में)............................ (शब्दों में)............................ | |
| द्वारा<br>स्टेशन मास्टर/Y | सेवा में<br>स्टेशन मास्टर/X |

नं.....................आपका नं................ । समझ गया कि गाड़ी (संख्या और विवरण) ........................जो मेरे स्टेशन से जाने वाली अंतिम गाड़ी थी, आपके स्टेशन पर पूरी पहुँच गयी है। गाड़ी संख्या ............. जो आपके स्टेशन से चली थी ............... ........बजे मेरे स्टेशन पर पूरी पहुँच गयी है/नहीं पहुँची है। गाड़ी संख्या .............. पूरी पंहुच जाने के बाद तत्काल गाड़ी संचालन की वर्तमान प्रणाली को रद्द की जा रही है/ कर दी जायेगी। अगली गाड़ी के लिए लाइन क्लियर ................. .... माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

निजी अंक (अंकों में)............................ (शब्दों में)............................

(xiii)यदि उपरोक्त पैरा (xii) में वर्णित स्थिति के अनुसार संचार के किसी साधन को बहाल किया जाता है तो स.नि. 9.12/2(क) के अनुसार कार्य किया जायेगा। लाइन क्लीयर, चालू किये गये किसी भी संचार साधन द्वारा न तो ली जायेगी और न ही दी जायेगी जब तक कि दोनों स्टेशन मास्टरों को यह तसल्ली न हो जाये कि उनके स्टेशनों से भेजी गई गाड़ियॉं दूसरे स्टेशन पर पूरी पहुँच गयी हैं। जब उपरोक्त बताई गई गाड़ियॉं स्टेशनों पर पूरी पहुँच जाये तो उनके नम्बर और उनके पहुँचने का समय दूसरे सम्बन्धित स्टेशन मास्टर को निजि अंको के आदान प्रदान करके बताया जायेगा। उसके बाद इसकी सूचना खंड नियंत्रक को दी जायगी।

(xiv)इस पद्धति के अनुसार गाड़ी संचालन संबंधित सभी रिकार्ड स्टेशन पर रखे जायेंगे और सैक्शन के परिवहन निरीक्षक इसकी जांच करेंगे और सामान्य संचालन पुनार्रम्भ होने के सात दिन के अंदर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक/ मंडल परिचालन प्रबंधक (प्रभारी) को रिपोर्ट भेजेंगे।

स.नि. 9.12/3 :– स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दोहरी लाईन पर, जबकि सिगनल परिचालित हों और संचार साधन उपलब्ध हो, एक लाइन के अवरूद्ध होने की स्थिति में गाड़ियों के संचालन के लिए नियम एवं विनियम :–

1. जब दोहरी लाइन पर विधुत संचार यंत्रों के माध्यम से अस्थायी रूप से इकहरी लाइन संचालन चालू करना हो, तो प्रभावित सेक्शन के एक सिरे का स्टेशन मास्टर लिखित रूप में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कि एक लाइन साफ है, खंड नियंत्रक और सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर के साथ परामर्श करके लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन चालू करने की कार्यवाही करेगा। अस्थायी इकहरी लाइन संचालन शुरू करने का निर्णय वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक/मंडल परिचालन प्रबंधक (प्रभारी) द्वारा लिया जाएगा। अस्थायी इकहरी लाइन संचालन अवरोध के दोनों ओर के उन निकटतम स्टेशनों के बीच शुरू किया जायेगा, जहां अप और डाउन लाइनों के बीच क्रॉस–ओवर उपलब्ध हो। दोनों छोर के ऐसे स्टेशनों का नामांकन ऊपर बताए अनुसार मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक/मंडल परिचालन प्रबंधक (प्रभारी) द्वारा किया जाएगा।

2. यदि ऐसी आशंका हो कि जिस लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन प्रारंभ किया जाना है वह भी अवरूद्ध या क्षतिग्रस्त है तो अस्थायी इकहरी लाइन संचालन तब तक चालू नही किया जायेगा जब तक कि इंजीनियरिंग विभाग के एक जिम्मेदार पदाधिकारी, जो एस.एस.ई./जे.ई.(रेल पथ) के पद से निचले पद का न हो, उस सेक्शम का निरीक्षण करके यह प्रमाणित न कर दे कि रेलपथ गाड़ियों के आवागमन के लिए सुरक्षित है।

3. प्रभावित खंड पर गाड़ियों का संचालन ऐसे स्टेशनों द्वारा और ऐसे लाइनों पर, जिन्हे नामित किया गया है, नियंत्रित किया जायेगा।

4. जिस खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन शुरू की जा रही है, उसके दोनों छोर पर स्थित स्टेशनों के अर्ध–स्वचल /हस्तचालित प्रस्थान रोक सिगनल को अस्थायी इकहरी लाइन संचालन की पूरी अवधि के दौरान हस्तचालित मोड में 'ऑन' स्थिति में रखा जाएगा। अस्थायी इकहरी लाइन संचालन शुरू करने से पहले दोनों छोर पर स्थित स्टेशनों के संबंधित अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल को भी प्रारम्भ में हस्तचालित मोड में और 'ऑन' स्थिति में रखा जाएगा।

5. गलत लाइन पर चल रही सभी गाड़ियों का संचालन इकहरी लाइन पर विद्युत संचार यंत्रों के उपयोग के नियमों के अनुसार किया जायेगा। लाइन क्लीयर निम्न के माध्यम से लिया जायेगाः

(क) स्टेशन से स्टेशन फिक्सड टेलीफोन, जहाँ उपलब्ध हो।
(ख) फिक्सड टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटो फोन और बीएसएनएल/एमटीएनएल फोन मय कॉलर आईडी।
(ग) कन्ट्रोल टेलीफोन।
(घ) विशेष अनुदेशों के अधीन वी.एच.एफ. सेट, लेकिन उन खंडों पर जहां सवारी गाड़ियां चलती हैं, वहां यह संचार के एकमात्र साधन के रूप में नहीं।
(ड.) फिक्स्ड टेलीफोन मय सीयूजी सिम, जो स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा केवल आधिकारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है।

नोटः– ऐसे सभी मामलों में जहां लाइन क्लियर ट्रैक सर्किट/एक्सल काउंटर के अलावा किसी अन्य संचार के साधन से प्राप्त/प्रदान किया जाता है, स्टेशन का नाम बोलने, तत्पश्चात अंतिम पूर्ववर्ती गाड़ी के लिए दिए गए निजी अंकों की परस्पर जांच करके ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर की पहचान स्थापित करने की प्रणाली अपनाई जाएगी।

6. प्रभावित खंड के स्टेशनों पर गाडी सिगनल रजिस्टर का उपयोग प्रारंभ किया जायेगा।

7. यह सुनिश्चित करने के बाद कि यातायात के गुजरने के लिए एक लाइन साफ है, इकहरी लाइन संचालन का प्रस्ताव करने वाला स्टेशन मास्टर प्रभावित सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को निजि अंको के आदान–प्रदान के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देते हुए संदेश जारी करेगा–
(क) इकहरी लाइन संचालन प्रारंभ करने का कारण;
(ख) अवरोध का स्थान;
(ग) वह लाइन जिस पर इकहरी लाइन संचालन चालू करने का प्रस्ताव है;
(घ) इस सूचना का स्रोत कि कथित लाइन साफ है;
(ड) लाइन पर गति प्रतिबंध, यदि कोई हो;
(च) नामित स्टेशन पर पहुँचने/से छूटने वाली अंतिम गाड़ी की संख्या और समय

8. स्टेशन मास्टर से पावती प्राप्त होने पर और प्राइवेट नम्बर द्वारा उसकी पुष्टि होने पर इकहरी लाइन संचालन चालू किया जा सकता है। लाइन क्लीयर उपरोक्त पैरा–5 में उल्लेखित उपलब्ध संचार के साधनों पर प्राप्त किया जायेगा।

9. अगले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर ऐसा "लाइन क्लियर" तब तक नहीं देगा जब तक :–
(क) लाइन, केवल अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल तक ही नहीं बल्कि अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक भी साफ हो।
(ख) उसके नियंत्रण में आने वाले समपार फाटक/फाटकों को बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन के साथ निजी अंकों का आदान–प्रदान कर लिया गया है।
(ग) उसके नियंत्रण में आने वाले बाहरी साइडिंग/टर्नआउट के कांटे सही प्रकार से सैट और तालित कर दिए गए हैं।
(घ) गलत लाइन में चलने वाली प्रत्येक पहली गाड़ी के लिए, लाइन क्लियर तब तक न तो मांगा जाएगा और न ही दिया जाएगा, जब तक कि दोनों स्टेशन मास्टरों ने निजी अंकों के आदान–प्रदान के तहत यह आश्वासन नहीं दिया हो कि सही लाइन पर चलने वाली सभी गाड़ियां अगले स्टेशन पर पूर्ण रूप से आ चुकी हैं।

10. सही और गलत लाइन पर जाने वाली सभी गाड़ियों के लोको पायलट/मोटरमैन और ट्रेन मैनेजर को एक लिखित प्राधिकार (फॉर्म टी/ई 912) दिया जाएगा, जिसमें शामिल है–
क) स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दोहरी लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन कार्यप्रणाली के दौरान 'लाइन क्लियर टिकट'।
ख) लोको पायलट/ मोटरमैन को प्रस्थान, स्वचालित, आशोधित अर्ध–स्वचल/अर्ध–स्वचल/हस्तचालित और गेट रोक सिगनलों (नॉन–गवर्निंग सिगनलों सहित), जिन्हें पार किया जाना है, को 'ऑन' अवस्था में पार करने के लिए अधिकृत करने वाले प्राधिकार पर इस/इन सिगनल/सिगनलों की पहचान संख्या /संख्याएँ भी अंकित की जायेगी। लोको पायलट/मोटरमैन, स्टार्टर/हस्तचालित और गेट रोक सिगनल को तभी पार करेगा, जब उसे वर्दीधारी रेलवे कर्मचारी द्वारा आगे बढो हाथ सिगनल दिखाया जा रहा हो। मध्य–खण्ड गेट सिगनलों के मामले में लोको पायलट/मोटरमैन समपार फाटक के सड़क यातायात के लिए बंद और तालित होना सुनिश्चित करने के पश्चात ही सर्तकता से समपार फाटक को पार करेगा।

ग) एक सतर्कता आदेश, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा–

(i) लाइन जिस पर गाड़ी या लाइट इंजन को चलना है;

(ii) किलोमीटर जिनके बीच अवरोध स्थित है;

(iii) कोई गति प्रतिबंध, जिसे लगाया गया है; और

(iv) यह अनुदेश कि गलत लाइन में स्वचालित सिगनलों को अनुपयोगी समझा जाये, यद्यपि वे 'आगे बढों' या 'सतर्क' संकेत दिखाते हुए हो सकते हैं ।

(v) गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी को सभी संबंधित काँटों को सही प्रकार से सैट और तालित करने के बाद ही स्टेशन से बाहर पायलट जायेगा।

(vi) न्यूट्रल सेक्शन का स्थान, यदि कोई हो।

11. स्टेशन मास्टर, किसी भी गाड़ी को प्राधिकार टी/ई 912 सौंपकर गलत लाइन पर ब्लॉक खण्ड में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले, यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रण के गेट/गेटों को बंद करने के लिए गेटमैन से निजि अंक प्राप्त कर लिए गए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गाड़ी भेजने वाले स्टेशन के नियंत्रण में आने वाले काँटे, जहां से गाडी गुजरेगी, सही प्रकार सैट और तालित कर दिये गए हैं।

12. सही लाइन पर चलने वाली प्रत्येक पहली गाड़ी के लिए, गलत लाइन में चलने वाली गाड़ियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तथा प्राधिकार टी/ई 912 जारी किया जाएगा।

13. सही लाइन पर चलने वाली बाद वाली गाड़ियों को स्वचालित ब्लॉक पद्धति में सिगनल के संकेतों के अनुसार एक दूसरे के पीछे चलने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि पिछले स्टेशन ने अगले स्टेशन को इस बारे में अवगत करा दिया है कि वह अमुक गाड़ी/गाड़ियों को पीछे से चलने की अनुमति दे रहा है और यह निर्धारित कर लिया है कि यदि वे उनके पीछे चल रही हैं, तो अगला स्टेशन उन्हें लेने के लिए तैयार है। ऐसे प्रत्येक संचालन के लिए निजी अंकों का आदान–प्रदान किया जाएगा।

सही लाइन पर चलने वाली पहली गाड़ी के बाद चलने वाली गाड़ियों को भी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन न केवल अर्ध–स्वचल/हस्तचालित प्रस्थान रोक सिगनल से आगे प्रथम सिग्नलिंग सेक्शन तक बल्कि उससे आगे पर्याप्त दूरी तक भी साफ है, लिखित प्राधिकार (टी/ई 912) दिया जाएगा। हालांकि, स्टेशन मास्टर प्राधिकार टी/ई 912 में लाईन क्लीयर टिकट वाले हिस्से को काट देगा।

14. गलत लाइन से अस्थायी इकहरी लाइन संचालन प्रारंभ करने वाली पहली गाड़ी के लोको पायलट/मोटरमैन को दिये जाने वाले फॉर्म टी/ई 912 पर यह भी पृष्ठांकन किया जाएगा कि लोको पायलट रास्ते में रूक कर सभी गेटमैनों एवं गैंगमैनों को अस्थायी इकहरी लाइन संचालन चालू होने के बारे में सूचित करें। लाइन, जिस पर गाड़ियाँ चलेंगी, को भी निर्दिष्ट किया जायेगा। उचित प्रस्थान प्राधिकार पर गलत लाइन पर चलते समय लोको पायलट को गाड़ी के इंजन की फ्लैशर लाइट का स्वीच "ऑन" कर देना चाहिए। यदि स्टेशन कर्मचारी, गेटमैन और गैंगमैन को पता चलता है कि गलत लाइन पर चलने के दौरान गाड़ी के इंजन की फ्लैशर लाइट 'ऑन' नहीं है तो वे तुरंत गाड़ी को रोक देंगे।

15.(क) गलत लाइन पर चलने वाली प्रत्येक पहली गाड़ी की गति अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए 25 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। गलत लाइन पर चलने वाली बाद की गाड़ियां, जिन्हें लाइन क्लियर पर भेजा जाएगा, उन्हें अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए सेक्शनल गति पर चलने के लिए अनुमत हैं।

(ख) सही लाइन पर चलने वाली प्रत्येक पहली गाड़ी की गति अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए 25 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। सही लाइन पर पहली गाड़ी के बाद सिगनल के संकेतों पर चलने वाली गाड़ियों को लागू अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए सेक्शनल गति से चलने के लिए अनुमत हैं। हालांकि, सम्मुख काँटों, यदि कोई हो, पर गति 15 किमी प्रति घंटा तक प्रतिबंधित होगी।

16. (क) गलत लाइन पर चल रही गाड़ी का लोको पायलट/मोटरमैन स.नि. 9.12/3 के अन्तर्गत नामित अगले स्टेशन पर पहुंचते समय सही लाइन से संबंधित अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल या गलत लाइन, जिस पर वह

चल रहा है, से संबंधित अर्ध–स्वचल/हस्तचालित प्रस्थान रोक सिगनल अथवा सबसे बाहरी क्रॉस–ओवर की सुरक्षा करने वाले किसी शंट सिगनल, जो भी उसे पहले मिलता हो, के सामने अपनी गाड़ी को खड़ा कर देगा, और एक लम्बी सीटी बजाएगा। स्टेशन मास्टर यह तसल्ली करने के बाद कि सभी काँटें सही प्रकार से सैट और तालित कर दिये गये हैं, इस सिगनल से गाड़ी को पायलट करने के लिए वर्दीधारी आदमी का प्रबंध करेगा, जो हाथ सिगनलों, यदि स्टेशन प्लेटफॉर्म से कोई दिखाया जाये, का पालन करेगा। फिर भी, हस्तचालित/अर्द्ध–स्वचल सिगनल, यदि कोई हो, को स्टेशन मास्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म टी/510 पर जारी किये गये लिखित प्राधिकार पर पार किये जायेंगे।

(ख) सही लाइन पर चलने वाली सभी गाड़ियों के लोको पायलट/मोटरमैन स.नि. 9.12/3 के अन्तर्गत नामित अगले स्टेशन के पर पहुंचते समय, रिसीविंग स्टेशन के अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल के संकेत द्वारा निर्देशित होंगे। यदि अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल चालू हालत में नहीं है, तो स्टेशन मास्टर उचित वर्दीधारी एक रेलवे कर्मचारी को तैनात करने का प्रबंध करेगा और अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तों को पूरा करने के बाद, गाड़ी को रिसीव करने के लिए फॉर्म सं. टी/369 (3बी) प्राधिकार जारी करेगा।

17. सामान्य संचालन चालू करना:–

(क) किसी जिम्मेदार इंजीनियरिंग पदाधिकारी से इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर कि प्रभावित लाइन पर अवरोध हटा दिया गया है और बाधित लाइन गाड़ियों के आवागमन के लिए साफ है, स्टेशन मास्टर, अन्य स्टेशन/स्टेशनों, जैसा भी मामला हो, को, निजि अकों के आदान–प्रदान के अंतर्गत एक संदेश जारी करेगा और खंड नियंत्रक से विचार विमर्श करके यह तय करेगा कि कौनसी गाड़ी के गुजरने के बाद सामान्य संचालन पुनः शुरू किया जाना है।

द्वारा — सेवा में

स्टेशन मास्टर/X — स्टेशन मास्टर/Y

नं.......................... आपके स्टेशन से ...........बजे भेजी गई अंतिम गाड़ी (संख्या और विवरण) .........................मेरे स्टेशन पर पूर्ण रूप से .................बजकर ........मिनट पर पहुँच गई है। गाड़ियों के संचालन की वर्तमान प्रणाली को रद्द करें।

निजी अंक (अंकों में)............................ (शब्दों में)............................

द्वारा — सेवा में

स्टेशन मास्टर/Y — स्टेशन मास्टर/X

नं.................आपका नं ...................... समझ गया कि मेरे स्टेशन से भेजी गई गाड़ी (संख्या और विवरण).................आपके स्टेशन पर पूर्ण रूप से ................बजे पहुँच गई है। गाड़ियों के संचालन की वर्तमान प्रणाली को रद्द कर दी गई है।

निजी अंक (अंकों में)............................ (शब्दों में)............................

(ख) संबंधित सभी स्टेशनों के गाडी सिगनल रजिस्टरों में दोहरी लाइन कार्य–प्रणाली के निलंबित होने का समय, इकहरी लाइन के कार्य–प्रणाली के शुरू होने का समय और सामान्य संचालन के पुनः प्रारंभ होने का समय दर्शाते हुए एक प्रविष्टि दर्ज की जायेगी।

(18) अस्थायी इकहरी लाईन संचालन संबंधित सभी रिकार्ड स्टेशन पर रखे जायेंगे और सैक्शन के परिवहन निरीक्षक इसकी जांच करेंगे और सामान्य संचालन पुनार्रम्भ होने के सात दिन के अंदर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक/ मंडल परिचालन प्रबंधक (प्रभारी) को रिपोर्ट भेजेंगे।

स.नि.9.12/4 स्वचालित ब्लॉक पद्धति में, जबकि कोई भी संचार का साधन उपलब्ध नहीं हो, इकहरी लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग की खराबी के मामलों के सम्बन्ध में नियम और विनियम–

(क) स्वचालित ब्लॉक पद्धति के अन्तर्गत इकहरी लाइन पर दो या अधिक स्टेशनों मध्य स्वचालित सिगनलिंग के विफल होने की स्थिति में और जब निम्नलिखित साधनों में से किसी एक के द्वारा भी लाइन क्लियर प्राप्त नहीं किया जा सकता हो यथा–

(i) ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटर;
(ii) स्टेशन से स्टेशन फिक्सड टेलीफोन, जहाँ उपलब्ध हो;
(iii) फिक्सड टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटो फोन और बीएसएनएल/एमटीएनएल फोन;
(iv) कन्ट्रोल टेलीफोन;
(v) विशेष अनुदेशों के अधीन वी.एच.एफ. सेट, लेकिन उन खंडों पर जहां सवारी गाड़ियां चलती हैं, वहां यह संचार का एकमात्र साधन के रूप में नहीं।
(vi) फिक्स्ड टेलीफोन मय सीयूजी सिम, जो स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा केवल आधिकारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(ख) स्टेशन मास्टर, जिसे प्रभावित खण्ड से होकर कोई गाड़ी भेजनी है, निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम से इंजन अथवा स्वनोदित वाहन अथवा किसी अन्य वाहन, जिसका निचे उल्लेख किया गया है, को भेजकर प्रभावित खण्ड के दूसरे छोर के ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के साथ सम्पर्क स्थापित कर संचार प्रारंभ करेगा–

(क) अकेला इंजन;
(ख) गाड़ी इंजन, जब उसे ड्यूटी के स्टेशन मास्टर के अनुदेशों पर लोको पायलट द्वारा गाड़ी से काट दिया है;
(ग) मोटर ट्रॉली/टावरवैगन/ट्रॉली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली जिसके साथ विधिवत ट्रेन मैनेजर या ड्यूटी के स्टेशन मास्टर से भिन्न कोई स्टेशन मास्टर तैनात हो;
(घ) डीजल कार/रेलमोटर कार/ई.एम.यू. रेक, यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि सभी यात्री गाडी से उतर गये हैं।

(ग) संचार प्रारंभ करने के लिए प्रभावित सेक्शन में अकेला इंजन/गाड़ी इंजन/मोटर ट्रॉली/टॉवर वैगन/ट्रॉली/साइकिल ट्रॉली/मोपेड ट्रॉली/डीजलकार/रेल मोटर कार/ईएमयू रेक को भेजने से पहले लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर जिसे इस कार्य के लिए भेजा जा रहा है, को ड्यूटी का स्टेशन मास्टर यह सूचित करेगा कि उसे किन परिस्थितियों में तथा किस प्रयोजन से भेजा जा रहा है। ड्यूटी का स्टेशन मास्टर इस बात पर अपनी तसल्ली भी करेगा कि संचार प्रारंभ करने के लिए जिस लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर को भेजा जा रहा है, वह इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था पूर्णतः भंग होने के दौरान गाड़ियों के संचालन के नियमों को अच्छी तरह समझता है। यदि लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर जिसे संचार प्रारंभ करने के उद्देश्य से भेजा जा रहा है, इकहरी लाइन पर संचार व्यवस्था पूर्णतः भंग होने के दौरान गाड़ियों के संचालन के नियमों से परिचित न हो तो ड्यूटी का स्टेशन मास्टर, इन नियमों को ऐसे कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बतायेगा। ड्यूटी का स्टेशन मास्टर "इकहरी लाइन सेक्शन पर संचार व्यवस्था पूरी तरह भंग होने के दौरान संचार व्यवस्था खोलने के लिए प्राधिकार" फार्म सं. टी/बी 602 पर लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर भी करवायेगा, जो इस बात का प्रमाण होगा कि उक्त कर्मचारी ने उन परिस्थितियों और प्रयोजन को जिनके लिए भेजा जा रहा है तथा इकहरी लाइन पर संचार व्यवस्था पूर्णतः भंग होने के दौरान गाड़ियों के संचालन के नियमों को अच्छी तरह समझ लिया है। प्राधिकार में निर्धारित सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में पार करने का प्राधिकार टी/ए 912 भी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को दिया जाएगा।

(घ) (i) अकेला इजन/गाड़ी इंजन/मोटर ट्रॉली/टावर वैगन/ट्रॉली/साइकिल ट्रॉली/मोपेड ट्रॉली/डीजलकार/रेल मोटरकार/इ.एम.यू. रेक को भेजने से पूर्व ड्युटि स्टेशन मास्टर संचार चालू करने हेतु भेजे जाने वाले लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर को स्टेशन के प्रस्थान रोक सिगनलों के साथ–साथ मध्यवर्ती स्वचालित/अर्ध–स्वचालित/हस्तचालित/गेट रोक सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार टी/ए 912 और फॉर्म टी/बी.602 'इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार' सौंपेगा जिसमें शामिल है:–

(क) बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार।

(ख) सतर्कता आदेश जिसमें उस गति का उल्लेख होगा जिस गति सीमा तक उपरोक्त पैरा (ख) में वर्णित इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन प्रभावित खंड में चल सकते हैं।
(ग) प्रभावित सेक्शन के दूसरे सिरे पर स्थित ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को संबोधित लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश जिसमें उसके स्टेशन को भेजे जाने के लिए प्रतीक्षा कर रही गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर माँगा जा रहा है।
(घ) प्रभावित सेक्शन के दूसरे छोर पर स्थित ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सशर्त लाइन क्लियर संदेश, निम्नलिखित अनुमति देते हुए–

(1) अकेला इजन/गाड़ी का इंजन, जो अकेले या उसके स्टेशन से भेजे जाने के लिए प्रतीक्षारत गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ, या दूसरे इंजन के साथ जुड़ा हुआ हो, को वापस भेजने की, या
(2) टावर वैगन/डीजलकार/रेल मोटरकार/ई.एम.यू. रेक को स्वयं चलकर लौटने की, या
(3) मोटर ट्रॉली/ट्रॉली/साइकिल ट्रॉली/मोपेड ट्रॉली को स्वयं चलकर या उसके स्टेशन से भेजे जाने के लिए प्रतीक्षारत गाड़ी में लदी हुई हो, को वापस भेजने की।

(ii) संचार चालू करने के लिए जाने वाला लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर को, फार्म संख्या टी/बी 602 'इकहरी लाईन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार' और स्टेशन के प्रस्थान रोक सिगनलों के साथ–साथ मध्यवर्ती स्वचालित/अर्ध–स्वचल/हस्तचालित/गेट रोक सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार टी/ए 912 प्राप्त होने पर इस बात के प्रमाणस्वरूप कि उसने इसके विषयवस्तु को समझ लिया है, उसकी मूल तथा रिकार्ड प्रति पर हस्ताक्षर करेगा।

(iii) यदि अकेले इंजन या किसी इंजन और ब्रेकवान को अगले ब्लॉक स्टेशन को जाने के लिए भेजना हो और अगले ब्लॉक स्टेशन पर पहुँचने के बाद उसकी यात्रा आगे जारी रखनी हो तथा वह संचार चालू करने के लिए न भेजा गया हो तो उक्त इंजन या इंजन और ब्रेकवान के लोको पायलट/मोटरमैन को 'इकहरी लाईन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार' दिया जायेगा और वापसी यात्रा के लिए उपरोक्त पैरा (i) (ग) व (घ) में उल्लिखित मद लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश और सशर्त लाइन क्लीयर संदेश को फार्म में काट दिया जायेगा। ऐसे इंजन या इंजन और ब्रेकवान को जहाँ आवश्यक हो केवल उपरोक्त पैरा (i) (क) व (ख) में उल्लिखित "बिना लाइन क्लीयर प्रस्थान प्राधिकार" और सतर्कता आदेश दिया जायेगा। जब अन्य अकेले इंजन या अन्य इंजन तथा ब्रेकवान को उसी दिशा में भेजना आवश्यक हो तो उसे कम से कम 30 मिनट के अन्तराल के बाद भेजा जायेगा।

(iv) किसी इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन को 'इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार' पर अगले स्टेशन जाने की अनुमति देते समय अर्ध–स्वचल/हस्तचालित प्रस्थान रोक सिगनल को 'ऑफ' नहीं किया जाएगा।

(ङ.) संचार चालू करने के लिए किसी इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन को लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश और इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन की वापसी यात्रा के वास्ते अगले स्टेशन के लिए सशर्त लाइन क्लीयर संदेश के साथ अगले स्टेशन को भेजने के बाद किसी भी अन्य गाड़ी या इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन को स्टेशन छोड़ने और उसी दिशा में जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक संचार चालू करने के लिए भेजा गया इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन वापस नहीं आ जाता।

(च) (i) "इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार" पर जाने वाला इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन, फ्लेशर लाइट, जहाँ उपलब्ध हो, का स्विच ऑन कर देगा तथा दिन में जब दृश्यता साफ हो तो 15 कि.मी.प्र.घं. तथा रात के समय या जब दृश्यता अवरूद्ध हो तो 10 कि.मी.प्र.घं. से अधिक गति से नहीं चलेगा और इंजन की सीटी या स्वनोदित वाहन का हार्न, जहाँ उपलब्ध हो, बार बार बजाया जायेगा।

धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में अथवा धूलभरी आँधी के दौरान जब दृश्यता साफ न हो "इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार" पर जाने वाला इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन केवल पैदल चलने वाले व्यक्ति की गति से ही चलेगा और इंजन की सीटी या स्वनोदित वाहन का हार्न, जहाँ उपलब्ध हो, बार बार बजाया जायेगा, उसके आगे पर्याप्त दूरी पर दो व्यक्ति पैदल चलेंगे जिनमें से एक लाल बत्ती दिखाता रहेगा और दूसरे के पास तत्काल प्रयोग के लिए कोहरा सिगनल तैयार रहेंगे। साधारणतः इन व्यक्तियों में से एक की व्यवस्था स्टेशन मास्टर द्वारा अपने पॉईटसमैन/गेटमैन में से की जायेगी और दूसरा व्यक्ति इंजनकर्मी दल से नियुक्त किया जायेगा या उसका व्यक्ति होगा जिसकी मोटर ट्रॉली/ट्रॉली/साइकिल ट्रॉली/मोपेड ट्रॉली प्रयोग में लायी जा रही हो। एकल व्यक्ति चालित स्वनोदित वाहन के मामले में इन दोनों व्यक्तियों की व्यवस्था स्टेशन मास्टर द्वारा की जायेगी। ड्यूटी का स्टेशन

मास्टर अगले स्टेशन को भेजे जाने वाले स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन के इंचार्ज लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में इन दोनों व्यक्तियों को उनकी ड्यूटी समझाकर बतायेगा और यह तसल्ली कर लेगा कि वे अपनी ड्यूटी समझते हैं।

(ii) दिन और रात दोनों समय किसी सुरंग में तब तक कदापि प्रवेश नहीं किया जाना चाहिये जब तक लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित न कर लें कि सुरंग साफ है। यदि इस विषय में कोई संदेह हो तो एक रेल सेवक हैंड सिगनल और पटाखे लेकर इंजन या अन्य वाहन इत्यादि को पायलट करेगा। सुरंग में प्रवेश करने से पहले हैड लाइट, बगल की तथा टेल लाइट तथा अन्य बत्तियाँ (जहाँ उपलब्ध हो) भी जलायी जायेंगी।

(iii) जब तक कि इंजन/मोटर ट्रॉली/टावर वैगन/साइकिल ट्रॉली/मोपेड ट्रॉली/डीजल कार/रेल मोटरकार/इ.एम.यू. रेक वापस नहीं आ जाता है, सबसे बाहरी सम्मुख काँटे के आगे लाइन को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) "इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार" पर जाने वाला इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन तथा दूसरे सिरे से भेजे गये इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन को बीच सेक्शन में मिले तो लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर, जैसी भी स्थिति हो, वे जिस गाड़ी का लाइन क्लीयर लेने जा रहे हैं उसके महत्व, निकटतम स्टेशन से दूरी, रास्ते में आने वाली चढ़ाई/उतराई, केच साइडिंग की स्थिति इत्यादि का ध्यान रखते हुए यह निर्णय करेंगे की इंजनों/स्वनोदित वाहनों को दोनों में से किस स्टेशन को जाना चाहिये। जाने से पहले इंजन या स्वनोदित वाहन, यदि संभव हो, जोड़ दिये जायेंगे। यदि इंजनों/स्वनोदित वाहनों को जोड़ा न जा सके तो वे सुरक्षित गति और पर्याप्त दूरी अन्तर रखते हुए चलाये जाने चाहिये। यदि मोटर ट्रॉली/पुश ट्रॉली/साइकिल ट्रॉली/मोपेड ट्रॉली तथा इंजन और ब्रेकवान/ डीजलकार/रेल मोटर कार/ईएमयू रेक मिलते हैं तो मोटर ट्रॉली/पुश ट्रॉली/साइकिल ट्रॉली/मोपेड ट्रॉली को, यदि संभव हो, ब्रेकवान/डीजलकार/रेल मोटर कार/ईएमयू रेक में लादा जायेगा।

(ज) इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन जो स्वचालित हो या किसी अन्य ऐसे यूनिट के साथ जुड़ा हुआ/हुए या अलग से जिस स्टेशन को जा रहा हो/जा रहे हों, उसके दिखाई देने पर सबसे आगे वाला इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन उक्त स्टेशन के अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल के बाहर (उससे पहले) रूकेगा। सबसे आगे के इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन के पीछे चलने वाला इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन सबसे आगे के इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन के पीछे सुरक्षित दूरी पर रूकेगा। अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल के बाहर रूकने की सूचना स्टेशन मास्टर को इंजन की सीटी या स्वनोदित वाहन का हॉर्न बजाकर, यदि उपलब्ध हो, या यदि आवश्यक हो तो किसी आदमी को भेजकर दी जाएगी। वे तब तक स्टेशन में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक स्टेशन मास्टर संबद्ध सिगनलों को "ऑफ" करके या अन्यथा स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे देता।

(झ) जब इंजन या इंजनों/स्वनोदित वाहन या स्वनोदित वाहनों/अन्य वाहन या वाहनों का स्टेशन में प्रवेश हो जाये तो "इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार" ड्यूटी के स्टेशन मास्टर को सौंप दिया जायेगा जो इन अभिलेखों को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश तथा सशर्त लाइन क्लीयर संदेश को अपनी लाइन क्लीयर पुस्तकों में भी दर्ज करेगा। वापसी यात्रा के सशर्त लाइन क्लीयर संदेश के प्राधिकार पर ड्यूटी का स्टेशन मास्टर निर्धारित फार्म टी/जी 602 (अप) या टी/एच 602 (डाउन), जैसा भी मामला हो, पर सशर्त लाइन क्लीयर टिकिट बनायेगा और उसे लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर को उस ब्लॉक स्टेशन को वापस अपने इंजन अकेले या किसी गाड़ी या अन्य इंजन या स्वनोदित वाहन के साथ, यदि कोई उस दिशा में जाने की प्रतिक्षा में हो, जाने के लिए सौंपेगा जहाँ से वह आया हो।

(ञ) यदि इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन अगले स्टेशन पर पहुंचे बिना उस स्टेशन पर वापस आ जाता है जहां से उसे भेजा गया था, तो "इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार" उस स्टेशन के कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा जिस स्टेशन से जारी हुआ था, वापस लेकर निरस्त कर दिया जाएगा। मूल प्रविष्ठियाँ भी रद्द कर दी जायेंगी।

(ट) ड्यूटी का स्टेशन मास्टर वापसी यात्रा में इंजन को अकेले या किसी गाड़ी/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन के साथ जुड़े हुए भेजने से पहले लोको पायलट/मोटरमैन/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर को दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर देते हुए लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश के जवाब में सशर्त लाइन क्लीयर उत्तर संदेश फार्म टी/एफ

602 देगा, जो उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्राधिकृत करेगा की उसके स्टेशन पर इंजन के अकेले या किसी गाड़ी/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन के साथ जुड़े हुए पूरे पहुँच जाने पर वहाँ प्रतीक्षा कर रही गाड़ी को रवाना कर सके। प्राधिकार में निर्धारित सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में पार करने का प्राधिकार टी/ए 912 भी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को दिया जाएगा।

(ठ) सशर्त लाइन क्लीयर उत्तर संदेश फार्म टी/एफ 602 पर तैयार करते समय उसमें, यथा स्थिति, इंजन के अकेले या किसी गाड़ी के साथ या किसी अन्य इंजन/टॉवर वैगन/डीजलकार/रेल मोटर कार/ईएमयू रेक/मोटर ट्रॉली या ट्रॉली/साइकिल ट्रॉली या मोपेड ट्रॉली, स्वचालित या गाड़ी में लदी हुई, का विवरण सही सही भरा जायेगा।

(ड) वापसी यात्रा में इंजन चाहे अकेला हो या किसी गाड़ी/डीजलकार/रेलमोटरकार/ई. एम.यू. रेक में जुडा हुआ/मोटर ट्रॉली/पुश ट्रॉली/साइकिल ट्रॉली/मोपेड ट्रॉली लादी गई गाडी संचालन समय सारिणी में दी गयी गतिसीमाओं का तथा अन्य संबद्ध नियमों का पालन करते हुए सेक्शनल स्पीड से चल सकता है। मोटर ट्रॉली/पुश ट्रॉली/साइकिल ट्रॉली/मोपेड ट्रॉली स्वयं चलकर आते समय लाइन क्लियर पर चलने के नियमों का पालन करते हुये अपनी सामान्य गति से चल सकती है।

(ढ) स्टेशन पर पहुँचते समय इंजन चाहे अकेला या किसी गाड़ी/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन में जुड़ा हुआ हो पुनः स्टेशन के अर्ध–स्वचल/हस्तचालित आगमन रोक सिगनल के बाहर (उससे पहले) रुकेगा और उसके बाद स्टेशन मास्टर के अनुदेशों का पालन करेगा जो उसे संबद्ध सिगनलों को 'ऑफ' करके या अन्यथा, आगमन की व्यवस्था करेगा।

(ण) स्टेशन पर पहुँचने पर 'सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश' स्टेशन मास्टर को सौंपा जायेगा जो इसे लाइन क्लियर संदेश बुक में दर्ज करेगा और इस प्राधिकार पर प्रतीक्षारत गाड़ी हेतु फॉर्म टी/जी 602 या टी/एच 602, जैसा भी मामला हो, पर एक सशर्त लाइन क्लियर टिकट जारी करेगा।

(त) यदि दोनों दिशाओं में गाडियों का आवागमन बराबर हो तो प्रत्येक अनुवर्ती (अगली) गाड़ी के लिए टी/ई 602 पर लाइन क्लियर पूछताछ संदेश तथा सशर्त लाइन क्लियर संदेश पूर्वगामी गाड़ी के ट्रेन मैनेजर के माध्यम से भेजा जायेगा।

(थ) उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत गुजारी जाने वाली सभी गाड़ियों, इंजनों, ट्रॉलियों इत्यादि का आगमन तथा प्रस्थान समय लाइन क्लीयर पूछताछ और उत्तर पुस्तकों में सावधानीपूर्वक दर्ज किया जायेगा तथा "इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार" की रिकार्ड प्रति में और गाडी सिगनल रजिस्टर मे भी दर्ज किया जायेगा।

(द) जिस सेक्शन की संचार व्यवस्था भंग हो उसके एक सिरे के स्टेशन मास्टर को विपरीत दिशा से सामान्यतः किसी गाड़ी के आने की संभावना से पहले यदि उसी दिशा में एक से अधिक गाड़ियाँ भेजनी हों तो वह ऐसे मामलों में किसी गाड़ी के पहले उपलब्ध होने वाले इंजन को न केवल उस गाड़ी के लिए अपितु उसके बाद की गाड़ियों के लिए भी, जो वहाँ खड़ी हो अथवा जिनके वहाँ आने की सम्भावना हो, लाइन क्लीयर प्राप्त करने के लिए भेजेगा। लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश में यह लिखा जायेगा कि यह बाद की गाड़ियाँ पहली गाड़ी के बाद 30 मिनट के अन्तराल पर भेजी जायेंगी। लोको पायलट के अपेक्षित संख्या में गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर प्राप्त करके उसी स्टेशन पर जहाँ उसने अपनी गाड़ी को छोड़ा था लौट आने के बाद स्टेशन मास्टर पहली गाड़ी को गाड़ियों के लाइन क्लीयर के प्राधिकार पर भेजेगा और उस लाइन क्लीयर पर यह भी पृष्ठांकित करेगा कि उसके बाद अमुक गाड़ी(उसका नम्बर और पूरा विवरण देते हुए) विनिर्दिष्ट अन्तराल पर भेजी जायेगी। स्टेशन मास्टर यही सूचना लिखित रूप में ट्रेन मैनेजर को भी देगा। दूसरी और उसके बाद की गाड़ियों के लोको पायलटों को सतर्कता आदेश दिया जायेगा जिसमें गति सीधी लाइन पर जब आगे दृश्यतर साफ हो, 25 कि.मी.प्र.घं. और लाइन के किसी ऐसे भाग पर पहुंचते समय या उस पर से गुजरते समय वहाँ मोड़, अवरोध, वर्षा, कोहरा या अन्य किसी कारणवश आगे दृश्यता साफ न हो, 10 कि.मी.प्र.घं. प्रतिबंधित होगी। दूसरी और उसके बाद की गाड़ियों को भेजते समय अन्तिम पिछली गाडी का विवरण, उसका प्रस्थान समय तथा उसके बाद वाली गाड़ी का विवरण भी लाइन क्लीयर पर लिखा जायेगा। इस श्रृंखला की अन्तिम गाडी के लाइन क्लीयर पर पिछली गाडी का विवरण तथा उसका प्रस्थान समय लिखा जायेगा। इस कार्यविधि को अपनाते समय, ट्रेन मैनेजर व लोको पायलट को सतर्क रहने और कोई अवरोध हो तो उससे पहले रूकने के लिए तैयार रहने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

(ध) जब कोई गाड़ी प्रभावित सेक्शन में रोक दी जाती है तो ट्रेन मैनेजर तत्काल पीछे की ओर खतरे का सिगनल दिखायेगा और यह देखेगा कि पिछला बोर्ड या पिछली बत्ती सही प्रदर्शित की गयी है। यदि रूकने का कारण दुर्घटना, विफलता, अवरोध या अन्य असाधारण कारण हों और गाड़ी आगे न जा सकती हो तो लोको पायलट इस तथ्य की सूचना ट्रेन मैनेजर को देने के लिए निर्धारित कोड में सीटी बजायेगा, जिसे सुनकर ट्रेन मैनेजर गाड़ी से 250 मीटर पर एक पटाखा तथा गाड़ी से 500 मीटर पर एक दूसरे से 10 मीटर के अन्तर पर, दो पटाखे रखकर गाड़ी का बचाव करेगा चाहे किसी भी गेज की लाइन हो। जब गाड़ी सिगनलों के बाहर रोकी जाती है और यदि 10 मिनट से अधिक रूकी रहे या रूकने की संभावना हो तो उसका तदानुसार बचाव किया जायेगा। ट्रेन मैनेजर की अनुपस्थिति में गाड़ी का बचाव करने की जिम्मेदारी लोको पायलट की होगी।

(न) जब गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे चल रही हो तो किसी भी गाडी को पीछे की ओर नहीं चलाया जायेगा। असाधारण परिस्थितियों में जब किसी गाड़ी को पीछे की ओर चलना अपरिहार्य हो तो जहाँ तक गाड़ी को बैक किया जाना है वहां से 250 मीटर की दूरी पर एक पटाखा और 500 मीटर पर एक दूसरे से 10 मीटर के अंतर पर दो पटाखे रखकर बचाव की व्यवस्था करने के पश्चात ही गाड़ी को पीछे की ओर बैक किया जायेगा।

(प) गाड़ियाँ तब तक इस पद्धति के अनुसार ही चलायी जाती रहेंगी जब तक नियम स.नि. 9.12 के (4)(क) में उल्लेखित संचार साधनों में से कोई एक संचार साधन एस.एंड.टी. पदाधिकारी द्वारा पुनः चालू नहीं कर दिया जाता।

(फ) जैसे ही संचार साधनों में से कोई एक पुनः चालू किया जाए वैसे ही स्टेशन मास्टर द्वारा सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को फॉर्म सं. टी/आई 602 पर एक संदेश भेजना चाहिए। उपरोक्त संदेश प्राप्त होने पर सेक्शन के दूसरे छोर का स्टेशन मास्टर अवश्य फार्म सं. टी/आई 602 में पावती देगा।

(ब) सामान्य संचालन तब तक बहाल नहीं किया जाएगा जब तक कि दोनों स्टेशन मास्टर आश्वस्त न हो जायें कि उनके स्टेशनों से भेजी गयी सभी गाड़ियाँ और इंजन इत्यादि दूसरे स्टेशन पर पूर्ण रूप से पहुँच गये हैं। "इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार" के अधीन उपरोक्त नियम (क) में निर्दिष्ट किसी इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन के जाने के तुरन्त बाद संचार साधन पुनः चालू कर दिये जायें तो भी सामान्य संचालन तब तक चालू नहीं किया जाना चहिए जब तक कि अकेला इंजन/स्वनोदित वाहन/कोई अन्य वाहन अगले स्टेशन पर नहीं पहुँच जाता और दोनों स्टेशन मास्टर निजि अंको के आदान–प्रदान के द्वारा आश्वस्त नहीं हो जाते कि कोई लाइट इंजन/स्वनोदित वाहन/कोई अन्य वाहन सेक्शन में नहीं है। तत्पश्चात इसके संबंध में सूचना, नियंत्रित खण्डों पर खण्ड नियंत्रक को भी दी जायेगी, यदि खण्ड नियंत्रक के साथ भी संचार पुनः चालू हो गया हो और सामान्य संचालन बहाल हो गया हो। तथापि दो स्टेशनों के बीच संचार पुनः चालू होने के साथ यदि खण्ड नियंत्रक के साथ संचार पुनः चालू नहीं हुआ हो तो खण्ड नियंत्रक को उसके साथ संचार पुनः चालू होने पर तुरन्त स्थिति की सूचना दी जायेगी।

(भ) ऐसे खंड पर जहाँ पूर्ण संचार भंग हो जाता है, सेक्शन के परिवहन निरीक्षक स्टेशन के गाड़ी गुजरने वाले रिकार्डो (ट्रेन पासिंग रिकार्ड) की जांच अवश्य करेंगे और संचार के पुनः चालू हो जाने के सात दिन के भीतर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक/मंडल परिचालन प्रबंधक (प्रभारी) को रिपोर्ट भेजेंगे।

स. नि. 9.12/5 स्वचालित ब्लॉक पद्धति में, कोई भी संचार का साधन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, स्वचालित सिग्नलिंग की खराबी की स्थिति में एक लाइन पर अवरोध के कारण, दोहरी लाईन खण्ड पर इकहरी लाइन कार्य प्रणाली के लिए नियम और विनियम–

कर्मचारियों द्वारा स.नि. 9.12 (4) में निर्धारित नियमों के अतिरिक्त, निम्नलिखित नियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा –

(क) संचार व्यवस्था पूर्णतः भंग होने के दौरान जब कभी किसी गाड़ी की दुर्घटना या रेलपथ या अन्य अवरोध के कारण दोहरी लाइन के सेक्शन पर एक लाइन का उपयोग बंद हो जाये तो इकहरी लाइन संचालन तभी चालू किया जायेगा जब इंजीनियरिंग विभाग के एक जिम्मेदार पदाधिकारी, जो पदक्रम में एस.एस.ई/जे.ई. (रेलपथ) से निचले पद का न हो, द्वारा प्रमाणित कर दिया जाये कि दूसरी लाइन जिस पर इकहरी लाइन संचालन करना है द्वारा गाड़ियों को गुजारना बाधा रहित और सुरक्षित है। ऐसा इंजीनियरिंग पदाधिकारी उक्त प्रमाण पत्र प्रभावित सेक्शन के सिरे के केवल उस स्टेशन मास्टर को ही देगा जिसको गाड़ियाँ भेजने के लिए अवरोध रहित लाइन ही सही लाइन होगी। यह प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रभावित

सेक्शन के सिरे का केवल वह स्टेशन मास्टर जिसको गाड़ियाँ भेजने के लिए अवरोध रहित लाइन ही सही लाइन होगी, स.नि. 9.12 (4) में संचार प्रारंभ करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(ख) अकेले इंजन समेत गाड़ियों के लाको पायलटों को सतर्कता आदेश दिया जाएगा जिस पर निम्नलिखित बातों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा–

(i) वह लाइन जिस पर गाड़ी को चलाना है;

(ii) स्थान, जहाँ अवरोध स्थित है;

(iii) कोई गति प्रतिबंध जो रेलपथ एवं निर्माण कर्मचारियों द्वारा लगाया गया हो;

(iv) यह आश्वासन कि संबंधित लाइन पर यदि कोई ट्रैप काँटा हो तो उसे स्पाइक और क्लैम्प कर दिया है।

(ग) अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के दौरान सभी क्रॉस ओवर काँटों, जिन पर गाड़ी गुजरेगी, क्लैम्प और ताला लगा दिया जायेगा।

(घ) गाड़ी के सही लाइन पर चलने की स्थिति में :–

(i) प्रभावित सेक्शन के पिछले स्टेशन के अर्ध–स्वचल/हस्तचालित प्रस्थान रोक सिगनल को निर्धारित फॉर्म टी/ए 912 पर 'ऑन' स्थिति में पार किया जा सकता है और इस सिगनल के नीचे से हाथ सिगनल भी दिखाये जायेंगे।

(ii) प्रभावित खण्ड के अगले स्टेशन के आगमन रोक सिगनल, यदि कोई हो, को 'ऑफ' किया जा सकता है।

(ड़.) गाड़ी के गलत लाइन पर चलने की स्थिति में:–

(i) गाड़ी जिन काँटों पर से गुजरेगी उन सभी सम्मुख काँटों को सही प्रकार से सैट, क्लैम्प और पैड लॉक करने तथा ट्रेलिंग काँटो को सही प्रकार से सैट करने के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा जारी टी/ए 912 के अतिरिक्त लिखित प्राधिकार टी/511 पर स्टेशन से बाहर पायलट किया जाएगा।

(ii) अगले स्टेशन पहुँचने पर लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन से संबंधित प्रथम रोक सिगनल या गलत लाइन (जिस पर वह चल रहा है) से संबंधित अंतिम रोक सिगनल, दोनों में जो पहले मिले, के सामने रोकेगा।

(iii) अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर एक वर्दीधारी रेल कर्मचारी को सिगनल (जो गाड़ी के सामने सबसे पहले आये) के नीचे प्रतिनियुक्त करेगा, जो खतरा हाथ सिगनल दिखाकर गाड़ी को रोकेगा और उसके बाद स्टेशन मास्टर द्वारा जारी लिखित प्राधिकार टी/510 पर स्टेशन में पायलट करेगा।

(च) मार्ग के सभी गेटमैनों और गैंगमैनों को अस्थायी इकहरी लाइन संचालन प्रारंभ किये जाने के बारे में सूचित करने और किस लाइन पर गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है, उसके बारे में सूचित करने की जिम्मेदारी "इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग होने के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार" के अधीन भेजे गये पहले इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन के इंचार्ज व्यक्ति की होगी। यदि आवश्यक हो तो यह सूचना बाद की गाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से भी भेजी जायेगी।

(छ) सामान्य संचालन पुनः आरम्भ करना:–

(i) यदि इकहरी लाइन संचालन प्रारंभ किये जाने के बाद दोनों प्रभावित स्टेशनों के बीच संचार पुनः आरंभ हो जाये तो गाड़ियॉ तब तक विशेष नियमों के अधीन चलाई जाती रहेंगी जब तक कार्यविधि रद्द करने के लिए इन नियमों में निहित अनुदेशों के अनूरूप कार्यवाही नहीं कर ली जाती है। इसके बाद गाड़ियों का संचालन दोहरी लाइन पर अस्थायी तौर पर चालू किये गये इकहरी लाइन संचालन के दौरान निर्धारित अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) तथापि, यदि संचार पुनः आरम्भ होने से पहले दूसरी लाइन यातायात के लिए मुक्त हो जाये तो गाड़ियों का संचालन पूर्ण संचार भंग होने के दौरान दोहरी लाइन खंड पर गाड़ियॉ चलाने से संबंधित अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

**स.नि. 9.12/6 स्वचालित ब्लॉक पद्धति में इकहरी लाइन खंडों पर, जब संचार के साधन उपलब्ध हो परन्तु यातायात की दिशा स्थापित नहीं की जा सकती हो, के लिए नियम और विनियम–**

ऐसे मामलों में स.नि. 9.12/2(क) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

.........

**मद संख्या: 02**

परिशिष्ट 'ग' के अंतर्गत प्रदर्शित मौजूदा संबंधित प्रारूपों को हटा दें (पृष्ठ सं 455 से 499) और प्रासंगिक स्थानों पर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें। टी 509/के बाद नया फॉर्म टी 510/भी जोड़ें और सहायक नियम )5.10iv) के तहत पृष्ठ 217 पर इसकी हस्तलिपि हटा दें।

फॉर्म सं टी/डी 912

क्रम सं...............

पूर्व मध्य रेलवे

स्वचालित ब्लॉक पद्धति पर सिगनलों की दीर्घ कालीन खराबी के दौरान गाडियों के संचालन हेतु प्राधिकार

(लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर के रिकार्ड हेतु)

.............स्टेशन समय...... घंटा...... मिनट

दिनांक............

इंजन/गाड़ी/यूनिट संख्या.......... अप/डाउन के मोटरमैन/लोको पायलट को

**<u>प्रस्थान प्राधिकार</u>**

1. ..............स्टेशन और.............. स्टेशन के बीच सभी सिगनल खराब हो गये हैं।
2. ..........स्टेशन से प्राइवेट नं (शब्दों में)...........(अंकों में).........के अधीन लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया है।
3. आपके ईजन/गाड़ी/यूनिट संख्या ............... को........... स्टेशन के अर्द्ध-स्वचालित/हस्तचालित प्रथम आगमन रोक सिग्नल तक आगे बढने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और उसके पश्चात् आपको उस स्टेशन के अर्द्ध-स्वचालित/हस्तचालित प्रथम आगमन रोक सिगनल के संकेतो अथवा............स्टेशन के स्टेशन मास्टर के निर्देशों का पालन करना है।

**<u>'ऑन' स्थिति में सिगनलों को पार करने के लिए प्राधिकार</u>**

आपको पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है -

1. प्रस्थान सिग्नलों एवं ........... स्टेशन एवं .............स्टेशन के मध्य स्थित सभी मध्यवर्ती स्वचालित सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए ।
2. वर्दीधारी रेल कर्मचारी द्वारा हाथ सिग्नल दिखाये जाने पर प्रस्थान/हस्तचलित रोक सिगनलों/ गेट रोक सिगनलों को पार करने के लिए।
3. आपको पूर्ण सावधानी बरतते हुए समपार फाटक को तभी पार करना है जबकि आपने सुनिश्चित कर लिया है कि गेट बंद है।
4. इस प्रकार पार किये जाने वाले सभी सिग्नलों का अलग अलग नम्बर लिखें.......................................................................................................................

**<u>सतर्कता आदेश</u>**

*आपकी गाडी, स्वचालित सिग्नलिंग की दीर्घ कालीन खराबी के दौरान ..........स्टेशन से ............स्टेशन के मध्य अप/डाउन* लाईन पर गुजरने वाली पहली गाडी है। गाडी की गति, अन्य लागू गति प्रतिबन्धों का पालन करते हुए, दृश्यता साफ होने पर 25 कि.मी.प्र.घं. और आगे की दृश्यता बाधित होने पर 10 कि.मी.प्र.घं. से अधिक नहीं होगी।

*आपकी गाडी प्रथम गाडी नहीं है तथा आपको ...........स्टेशन से ................स्टेशन के मध्य अप/डाउन* लाईन पर, अन्य लागू गति प्रतिबन्धों का पालन करते हुए, <u>सेक्शनल गति</u> से गुजरने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

**सम्मुख कांटो, यदि कोई हो, पर गति 15 कि.मी.प्र.घं. तक सीमित रहेगी।**

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें

.............................................

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और मोहर

मैने इस प्राधिकार की विषय वस्तु को समझ लिया है।

ट्रेन मैनेजर के हस्ताक्षर................ दिनांक............ समय....... बजकर....... मिनट..........

लोको पायलट/मोटरमैन के हस्ताक्षर.............दिनांक............ समय....... बजकर....... मिनट..........

फॉर्म सं. टी/बी 912
क्रम सं. .........................

(जोन का नाम) रेलवे

## स्वचालित ब्लॉक पद्धिति में पूर्ण संचार भंग होने / लाईन पर अवरोध होने की स्थिति में गाडियों के संचालन के लिए प्राधिकार

(लोको पायलट/ ट्रेन मैनेजर / स्टेशन मास्टर के रिकार्ड हेतु )

समय ......... घंटा ............ मिनट

.......................... स्टेशन

दिनांक ................

ईंजन/गाड़ी/यूनिट संख्या ...............................अप/डाउन के मोटरमैन/लोको पायलट को

### लाईन क्लियर के बिना आगे बढने का प्राधिकार

1.आपको अप/डाउन* लाइन पर .............. स्टेशन से .............. स्टेशन तक लाइन क्लीयर के बिना, सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

2.आपको अपनी गाड़ी/इंजन/यूनिट सं. ..................... को .................. स्टेशन के (1) सही लाईन के अर्द्ध–स्वचालित/हस्तचालित प्रथम आगमन रोक सिग्नल के पहले या (2) गलत लाईन के अर्द्ध–स्वचालित/हस्तचालित अंतिम प्रस्थान रोक सिग्नल से पहले* खड़ी कर देनी है और इसके बाद आपको................ स्टेशन के स्टेशन मास्टर के अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जायेगा।

3.सेक्शन पर गाड़ी नं. ................. अंतिम गाड़ी थी। यह ......... घंटा ........... मिनट पर यहॉ से चली/पर पहुँची*।

### परिस्थितियॉं जिनमें यह प्राधिकार दिया गया है।

*(क) सिगनलों एवं संचार व्यवस्था का खराब हो जाना।

*(ख) ............. स्टेशन और .............. स्टेशन के बीच ............ कि.मी. पर लाइन का ब्लॉक होना/पर अवरोध होना और संचार साधनों का खराब हो जाना।

*(ग) ..............................................................................................(अन्य कोई)

***जो लागू नही है उसे काट दें।**

### 'ऑन' स्थिति में सिगनलों को पार करने के लिए प्राधिकार

1.आपको इस प्राधिकार पर प्रस्थान सिग्नलों एवं ——————स्टेशन एवं ————स्टेशन के मध्य स्थित सभी मध्यवर्ती स्वचालित सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है।

2.इसके अतिरिक्त, आपको वर्दीधारी रेल कर्मचारी द्वारा हाथ सिग्नल दिखाये जाने पर प्रस्थान/हस्तचलित रोक/गेट रोक सिग्नलों को भी पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

3.आपको पूर्ण सावधानी बरतते हुए समपार फाटक को तभी पार करना है, जबकि आपने सुनिश्चित कर लिया है कि गेट बंद है।

4.इस प्रकार पार किये जाने वाले सभी सिग्नलों का अलग अलग नम्बर लिखें..................................................................
..........................................................................................................................................................

### सतर्कता आदेश

आपको ............. स्टेशन से ............ स्टेशन तक अपने इंजन/गाड़ी/यूनिट सं. ................ को, खण्ड में लागू अन्य गति प्रतिबन्धों का पालन करते हुए, **दृश्यता साफ होने पर 15 कि.मी.प्र.घं. और आगे की दृश्यता बाधित होने, पर 10 कि.मी.प्र.घं. से अधिक गति न रखते हुए चलने की अनुमति दी जाती है।**
**सम्मुख कांटो, यदि कोई हो, पर गति 15 किमीप्रंघ तक सीमित रहेगी।**

गलत लाइन पर जाने वाली गाडी को सभी संबंधित कांटो को सही तरीके से सैट एवं तालित करने के पश्चात् स्टेशन के बाहर पायलेट किया जायेगा।

..................................................
स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर एवं मोहर

मैने इस प्राधिकार की विषय वस्तु को समझ लिया है।

ट्रेन मैनेजर के हस्ताक्षर ................ दिनांक .......... समय ............... बजकर ............ मिनट
लोको पायलट/मोटरमैन के हस्ताक्षर ........... दिनांक .......... समय ............... बजकर ............ मिनट

**इस प्राधिकार पर चलने वाले लोको पायलट/मोटरमैन/ ट्रेन मैनेजर इस फार्म के पीछे उल्लिखित अनुदेशों का पालन अवश्य करें।**

## महत्वपूर्ण अनुदेश

इस प्राधिकार पर चलने वाले मोटरमैन/लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर निम्नलिखित सावधानियॉं अवश्य बरतें :–

1. लागू अन्य गति प्रतिबन्धों का पालन करते हुए, दृश्यता साफ होने पर सीधी लाइन पर गति 15 कि.मी.प्र.घं. और लाइन के किसी भाग के पास पहुंचते या पार करते हुए जहॉं घुमाव, अवरोध, वर्षा, कोहरा अथवा किसी अन्य कारण से दृश्यता साफ न होने पर गति 10 कि.मी.प्र.घं. से अधिक न रखें। सम्मुख कांटो पर गति 15 किमीप्रंघ तक सीमित रहेगी।

2. दिन और रात दोनो के समय लोको पायलट किसी सुरंग में तब तक नहीं घुसेगा जब तक कि लोको पायलट यह सुनिश्चित न कर ले कि सुरंग क्लीयर है। यदि कोई शंका हो तो, गाड़ी को एक रेल कर्मचारी द्वारा, जो कि प्रज्जवलित हाथ–सिगनलों और पटाखों से सुसज्जित हो, मार्गदर्शित किया जाना चाहिये।

3. हर समय बाहर की ओर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये और लोको पायलट प्रत्यक्ष या रेल पथ पर अचानक होने वाले किसी भी अवरोध से पहले रूकने के लिए अवश्य तैयार रहें। इंजन की सीटी का निर्बाध रूप से अवश्य इस्तेमाल किया जाये।

4. आगे नामित स्टेशन पर पहुँचते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी के इंजन को सही लाईन के अर्द्ध–स्वचालित/हस्तचालित आगमन रोक सिग्नल के पहले या गलत लाईन के अर्द्ध–स्वचालित/हस्तचालित प्रस्थान रोक सिग्नल से पहले खड़ी कर देनी है और एक लम्बी सीटी बजायें और स्टेशन मास्टर के अनुदेशों का पालन करें।

5. प्राधिकृत यात्रा की समाप्ति पर नामित स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह फॉर्म रिकार्ड के लिए सौंप दिया जायेगा।

फॉर्म सं. टी/ई 912
क्रम सं. ...................

(जोन का नाम) रेलवे

स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दोहरी लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन कार्यप्रणाली के लिए प्राधिकार

(लोको पायलट/ ट्रेन मैनेजर / स्टेशन मास्टर के रिकार्ड हेतु)

...................... स्टेशन समय ......... घंटा ............ मिनट

दिनांक ....................

इंजन/गाड़ी/यूनिट सं. .................. अप/डाउन के मोटरमैन/लोको पायलट को

अवरोध किमी......................... पर अवस्थित है।

**लाइन क्लीयर टिकिट**

1. ...............................के कारण, .......... स्टेशन एवं ........... स्टेशनों के मध्य .......... लाइन पर इकहरी लाइन कार्यप्रणाली लागू की गयी है।
2. ............ स्टेशन से प्राइवेट नं. (शब्दों में) ........ (अंकों में) ................ के अधीन लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया है।
3. आपको अपनी गाड़ी/इंजन/यूनिट सं. ........... को स्टेशन के प्रथम स्टॉप सिग्नल/ गलत लाइन के अंतिम रोक सिग्नल* के बाहर खड़ा करना है और उसके बाद..............स्टेशन के स्टेशन मास्टर के निर्देशों का पालन करना है।

***सतर्कता आदेश के साथ गलत लाइन पर 'ऑन' स्थिति में सिग्नल पार करने का प्राधिकार**

गलत लाईन पर – जब गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो सभी संबंधित पॉइंट सही तरीके से सेट और लॉक होने के बाद ही गाड़ी को स्टेशन से बाहर पायलेट किया जायेगा। लोको पायलट/मोटरमैन को यह सुनिश्चित करना होगा:

(i) कि बाहरी साइडिंग के पॉइंट, जहाँ उपलब्ध हों, सही ढंग से सेट और लॉक किए गए हैं और/या लेवल क्रॉसिंग गेट सं. ............ बंद हैं और,

(ii) कि कांटो और समपार फाटकों को पार करने के लिए वर्दीधारी रेलवे कर्मचारी उन कांटो, समपार फाटकों पर हाथ संकेत दिखा रहे है। आप समपार फाटको को तभी सावधानीपूर्वक पार करेंगे जबकि आपने यह सुनिश्चित कर लिया है कि समपार फाटक बंद है ।

यहाँ इस प्रकार से पार किए जाने वाले सभी नॉन गर्वनिंग सिग्नलों के नंबर अलग–अलग दर्शाएं: ..........................................................................

..........................................................................................................................................................................

*आपकी गाडी अस्थायी इकहरी लाइन कार्यप्रणाली के दौरान गलत लाईन पर गुजरने वाली पहली गाडी है। गति, अन्य लागू गतिप्रतिबन्धों का पालन करते हुए, 25 किमी प्रति घंटे से अधिक नही होगी। लोको पायलट गाडी के इंजन की फ्लैशर लाइट को ''ऑन'' रखेगा और सभी गेटमैन और गैंगमैनों को इस आशय की सूचना देगा।

* आपकी गाडी अस्थायी इकहरी लाइन कार्यप्रणाली के दौरान गलत लाईन पर गुजरने वाली पहली गाडी नही है। गाडी को, अन्य लागू गतिप्रतिबन्धों का पालन करते हुए, सेक्शलन गति से चलाने की अनुमति है।

ब्लॉक सेक्शन में लागू अतिरिक्त सतर्कता आदेश निम्नलिखित हैं (गलत लाइन में जाने वाली गाडीयों के लिए)

| क्रम सं. | स्टेशन | | किलोमीटर | | गति (किमीप्रघं.) | कारण/टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | से | तक | से | तक | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

***सतर्कता आदेश के साथ सही लाइन पर सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार**

***सही लाइन पर पहली गाडी** – आपको एतद् द्वारा इस प्राधिकार पर प्रस्थान सिग्नलों एवं.......... स्टेशन और ......... स्टेशन के मध्य अवस्थित सभी मध्यवर्ती स्वचालित सिग्नलों को ''ऑन'' स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपको वर्दीधारी रेलवे कर्मचारी द्वारा हाथ संकेत दिए जाने पर अर्द्ध–स्वचालित/हस्तचालित रोक सिगनल/गेट रोक सिगनलों को भी पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। आपको पूर्ण सावधानी बरतते हुए समपार फाटक को तभी पार करना है, जबकि आपने सुनिश्चित कर लिया है कि गेट बंद है।

**गति, अन्य लागू गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए, 25 किमी प्रतिघंटे से अधिक नही होगी।**

यहाँ इस प्रकार से पार किए जाने वाले सभी सिग्नलों के नंबर अलग–अलग दर्शाएं: ..........................................................................

..........................................................................................................................

***सही लाइन पर पहली गाडी के बाद जाने वाली गाडियां** – आपको इस प्राधिकार पर ............ स्टेशन के प्रस्थान सिगनलों को ............... (सिग्नलों के नम्बर) ''ऑन'' स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और उसके बाद मध्यवर्ती सिग्नलों के संकेतो का पालन करना है। गाडी को, अन्य लागू गतिप्रतिबन्धों का पालन करते हुए, सेक्शलन गति से चलाने की अनुमति है।

..........................................
स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर एवं मोहर

मैने इस प्राधिकार की विषय वस्तु को समझ लिया है।

ट्रेन मैनेजर के हस्ताक्षर ...................... दिनांक .......... समय ............... बजकर ............ मिनट
लोको पायलट/मोटरमैन के हस्ताक्षर ................. दिनांक .......... समय ............... बजकर ............ मिनट

***जो लागू न हो उसे काट दें।     ** जब लागू न हो तो काट दें**

## महत्वपूर्ण अनुदेश

इस प्राधिकार पर चलने वाले मोटरमैन/लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर निम्नलिखित सावधानियॉ अवश्य बरतें :–

1. यदि आपकी गाडी गलत लाइन पर जा रही है तो आपको स्पष्ट रूप से "न्यूट्रल सैक्शन" (केवल विद्युतिकृत खण्ड में) का पालन करने की चेतावनी दी जाती है।

2. सम्बन्धित लाइन पर कोई ट्रेप पॉइंट नहीं है/ट्रेप पॉइंटों को क्लैंप /स्पाइक कर दिया गया है।

3. गलत लाइन में लगे स्वचालित सिगनलों को उपयोग से बाहर मानना है, भले ही वे "आगे बढ़ो" या "सतर्क" संकेत दिखा रहे हों।

4. सम्मुख कॉटों पर गति 15 किमी प्रति घंटे से अधिक नही होगी।

5. लोको पायलट उचित प्राधिकार पर गलत लाईन पर आगे बढ़ने के दौरान गाडी के इंजन की फ्लैशर लाइट को "ऑन" रखेगा। यदि स्टेशन स्टाफ, गैटमैन और गैंगमैन को पता चलता है कि गलत लाईन पर चलने के दौरान गाडी के इंजन की फ्लैशर लाइट ऑन नही है, तो वे तुरंत गाडी को रोक देंगे।

6. सही लाइन पर पहली गाडी के पश्चात् जाने वाली अगली गाडियों को दिये जाने की स्थिति मे इस प्राधिकार में उल्लेखित लाइन क्लियर टिकट वाले भाग को काट दिया जाएगा।

फॉर्म सं. टी/ए 912
क्रम सं. ....................

(जोन का नाम) रेलवे

**स्वचालित/अर्ध–स्वचालित/हस्तचालित रोक सिगनल/फाटक रोक सिगनलों को पार करने के लिए प्राधिकार**

**(लोको पायलट/ ट्रेन मैनेजर / स्टेशन मास्टर के रिकार्ड हेतु)**

............................ स्टेशन समय ......... घंटा ............ मिनट

दिनांक ................

ईंजन/गाड़ी/यूनिट संख्या ..............................अप/डाउन के मोटरमैन/लोको पायलट को

(क) स्वचालित सिगनल खराब हो जाने पर आपको, ......... स्टेशन और ............. स्टेशन के बीच सभी स्वचालित सिगनलों को पार करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। इसके अलावा, आपको वर्दी में रेल कर्मचारी द्वारा हाथ सिगनल दिखाये जाने पर अर्ध–स्वचालित/हस्तचालित रोक सिगनल/फाटक रोक सिगनलों को पार करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है। खण्ड 'ख' में यथा उपबंधित को छोड़कर हाथ सिगनल दिखाया जाना है।

(ख) जब गलत लाईन में चल रहे हों (i) आप अवश्य पता लगाएं कि बाहरी साइडिंग के कांटे, जहॉ उपलब्ध कराए गए हों, सही तरीके से सेट करके तालित किया गया है और /या समपार फाटक सं...........बंद है और (ii) कांटों/समपार फाटकों को पार करने से पहले वहॉ पर वर्दी में रेल कर्मचारी द्वारा हाथ–सिगनल दिखाया गया हैं।

यहॉ पर इस प्रकार से पार किए जाने वाले सभी सिगनलों के नम्बरों का उल्लेख करें.....................................................................
.....................................................................................................................................................................

<u>सर्तकता आदेश</u>

आपकी गाडी ऑन स्थिति मे सिगनल/लों को पार करने जा रही है, **लागू अन्य गति प्रतिबंधो की पालना करते हुए दृश्यता स्पष्ट होने पर गति <u>25 किमीप्रघं</u> तक सीमित रहेगी तथा लाईन के किसी ऐसे हिस्से पर पहुँचने या उसको पास करने पर जहॉ आगे की दृश्यता गोलाई, अवरोध, वर्षा, धुंध के कारण स्पष्ट नही हो, गति <u>10 किमीप्रंघ</u> तक सीमित रहेगी।**

**सम्मुख कांटो, यदि कोई हो, पर गति 15 किमीप्रंघ तक सीमित रहेगी।**

..............................................................
स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर व मोहर

मैंने इस प्राधिकार की विषय वस्तु को समझ लिया है।

ट्रेन मैनेजर के हस्ताक्षर ..........................दिनांक .......... समय ............... घंटा ............ मिनट
लोको पायलट/मोटरमैन के हस्ताक्षर ................दिनांक ..........समय .........घंटा.......... मिनट

फॉर्म सं. टी/सी 912
क्रम सं. .......................

**(जोन का नाम) रेलवे**
**स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी के लिए आगे बढने हेतु प्राधिकार**
**(लोको पायलट/ ट्रेन मैनेजर / स्टेशन मास्टर के रिकार्ड हेतु)**

.......................... स्टेशन समय .......... घंटा ............. मिनट
दिनांक .................

ईंजन/गाड़ी/यूनिट संख्या ................................अप/डाउन के मोटरमैन/लोको पायलट को

**<u>अवरुद्ध ब्लॉक सैक्शन में आगे बढनें हेतु प्राधिकार</u>**

आपको अप/डाउन* लाइन पर अपने राहत इंजन/गाड़ी* के साथ ............... स्टेशन से ............... कि.मी. तक लाइन क्लीयर के बिना सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है। आप अपनी राहत गाड़ी/इंजन* को ............. कि.मी. पर खडा कर देगें और उसके बाद आपको सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जायेगा।

यह आदेश ............ कि.मी. पर अप/डाउन* लाइन पर अवरोध होने के कारण दिया जाता है परन्तु ...............स्टेशन और . ................ स्टेशन के बीच संचार व्यवस्था उपलब्ध है। इस सेक्शन पर गाड़ी सं. ................... अंतिम गाड़ी थी। यह यहॉ से .......... बजकर ............ मिनट पर चली/ पहुॅची*।

***जो लागू नही हो उसे काट दें**

**<u>सतर्कता आदेश</u>**

आपको .............. स्टेशन से ............. किमी तक अपने राहत इंजन/गाड़ी को **दृश्यता साफ होने पर सीधी लाइन पर <u>15 कि.मी.प्र.घं.</u>** और सुरंग, घुमाव, अवरोध, बारिश, कोहरा या किसी अन्य कारण से जब **दृश्यता बाधित हो <u>10 कि.मी.प्र.घं.</u>** से अधिक गति न रखते हुए चलने की अनुमति दी जाती है।

..................................................................
स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर एवं मोहर

मैंने इस प्राधिकार की विषय वस्तु को समझ लिया है।

ट्रेन मैनेजर के हस्ताक्षर ..........................दिनांक ........... समय ................ बजकर ............. मिनट
लोको पायलट/मोटरमैन के हस्ताक्षर ................... दिनांक ........... समय ................ बजकर ............ मिनट

फॉर्म सं. टी./369 (3बी)

क्रम सं. ..........................

**(जोन का नाम) रेलवे**
**"ऑन" या खराब स्थिति में सिगनलों को पार करने के लिए प्राधिकार**
**(लोको पायलट/स्टेशन मास्टर के रिकार्ड हेतु)**

स्टेशन .................. समय ..........घंटा .........मिनट

दिनांक ..................

इंजन/गाड़ी/यूनिट सं..................अप/डाउन के मोटरमैन/लोको पायलट को

स्टेशन के सिगनल संख्या और विवरण..............................................................खराब हो गया है/गये हैं।

आपको "ऑन" स्थिति में खराब बाहरी/होम/इनर होम/मार्ग सूचक/स्टार्टर/मध्यवर्ती स्टार्टर/अग्रिम स्टार्टर/आई बी एस/स्वचालित (ऑटोमैटिक) ब्लॉक पद्धति में हस्तचालित रोक/ स्वचालित ब्लॉक पद्धति में अर्द्ध-स्वचालित (जबकि वह हस्तचालित रोक सिगनल के रूप में कार्य कर रहा है) सिगनल/सिगनलों को ऐसी रफ्तार से पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है **जो 15 कि.मी.प्र.घं. से अधिक न हो।**

*मार्ग सूचक/इनर होम/होम/अर्द्ध-स्वचालित सिगनल खराब होने की स्थिति में गाड़ी लाइन नं. (अंकों में) ............एवं (शब्दों में) ..................पर प्रवेश करेगी।

*पूर्ण ब्लॉक पद्धति में दोहरी लाइन पर अग्रिम स्टार्टर सिगनल/अंतिम रोक सिगनल में खराबी होने पर लाइन क्लीयर ...................... स्टेशन से विद्युत संचार उपकरण पर प्राप्त की जा चुकी है।

प्राप्त किया गया प्राइवेट नं. (शब्दों में) ......................(अंकों में) ........................

***जो लागू नही हो उसे काट दें**

..............................

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर एवं मोहर

मैने इस प्राधिकार पत्र की विषय वस्तु को समझ लिया है

लोको पायलेट / मोटरमैन के हस्ताक्षर--------दिनांक---------समय------घंटा---------मिनिट

## महत्वपूर्ण अनुदेश

(1) दोषपूर्ण आगमन सिगनल के लिए, उस दोषपूर्ण सिगनल के नीचे सक्षम रेल कर्मचारी के द्वारा यह प्राधिकार दिये जाने पर, लोको पायलट उस दोषपूर्ण आगमन सिगनल को पार करने के लिए अधिकृत होगा।

(2) दोषपूर्ण स्टार्टर सिगनल के लिए, स्टेशन पर इस प्राधिकार को लोको पायलट को दिये जाने के अतिरिक्त सक्षम रेल कर्मचारी प्रस्थान करने वाली गाड़ी को हाथ-सिगनल दिखायेगा ।

(3) दोषपूर्ण अग्रिम स्टार्टर सिगनल के मामले में हाथ-सिगनल दिखाने की छूट दी जाये और लोको पायलट स्टेशन पर दिये जाने वाले लिखित प्राधिकार पर ऐसे सिगनल को पार करें। यह उन मामलों में जहाँ अग्रिम स्टार्टर सिगनल किसी प्वाइंट्स (कांटे) की अभिरक्षा करता हो, लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा हाथ-सिगनल दिखाया जायेगा।

अप/डाउन

फॉर्म सं. टी/बी–602
क्रम सं. ........................

(जोन का नाम) रेलवे

**इकहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार–भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए प्राधिकार**
**(लोको पायलट/ ट्रेन मैनेजर / स्टेशन मास्टर के रिकार्ड हेतु)**

समय ..........घंटा .........मिनट

स्टेशन ...................
दिनांक ..................
इंजन / स्वचालित वाहन......................... के लोको पायलेट/मोटरमैन को

**लाइन क्लियर के बिना आगे बढ़ने का प्राधिकार**

1. आपको ............. स्टेशन से ......... स्टेशन तक अपने इंजन/स्वचालित वाहन के साथ लाइन क्लियर के बिना सावधानी पूर्वक प्रस्थान करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।
2. आप अपने इंजन/वाहन को अगले ब्लॉक स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल के बाहर खड़ा कर देंगे और इसके बाद उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर के अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जायेगा।
3. गाड़ी सं. ....... इस सेक्शन पर अन्तिम गाड़ी थी। वह यहाँ से........ बजकर .......... मिनट पर गयी/यहाँ पर आई*।
4. यह प्राधिकार निम्नलिखित के कारण दिया जाता है –
   (क) दिनांक ............... को ....................... बजे से ............................स्टेशन के साथ पूर्ण संचार भंग।
   (ख) ..................................................................................................

***ऑन स्थिति में सिगनल को पार करने के लिए प्राधिकार**

आपको ऑन स्थिति में सिगनल/सिगनलों नं.................... एवं विवरण ........... को पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इस दौरान आपको, यदि वह सिग्नल कांटों का बचाव करता है तो, सिगनल पोस्ट के नीचे से दिखाये जाने वाले हाथ सिगनल का पालन करते हुए गाडी की **गति को 15 किमीप्रघं से अधिक नही** रखना है।
*स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग की अवस्था में काट दें

**सतर्कता आदेश**

1. आपको ............. स्टेशन से ......... स्टेशन के बीच आपके इंजन/स्वचालित वाहन की गति दिन में और **जब आगे दृश्यता साफ हो 15 किमीप्रघं तथा रात्रि में अथवा जब आगे दृश्यता साफ न हो 10 किमीप्रघं** रखने की अनुमति दी जाती है।
2. आपको विशेष रूप से सचेत किया जाता है कि ब्लॉक सेक्शन के बीच स्थित समपार फाटक/फाटकों के पास पहुंचते समय प्रत्येक सावधानी बरतें तथा बार–बार सीटी बजायें।
3. इसके अलावा निम्नलिखित सतर्कता आदेश ब्लॉक सेक्शन में लागू है।

| क्रम सं. | स्टेशन | | किलोमीटर | | गति किमीप्रघं. | कारण/टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | से | तक | से | तक | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |

**लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश**

...................... स्टेशन मास्टर को।
संदेश सं. .................
...................................की वापसी पर क्या लाइन क्लियर होगी तथा चलने के लिए तैयार गाड़ी नं.......... के लिए क्लीयर रखा जायेगा।

**सशर्त लाइन क्लीयर संदेश**

.................. स्टेशन मास्टर को।
संदेश सं. ...............
आपके स्टेशन पर ................ के पहुंचने पर, गाड़ी के साथ/के बिना लगे ............... गाड़ी इंजन या अन्य इंजन या स्वचालित वाहन/ट्रॉली आदि (पूरा ब्यौरा) के वापस आने के लिए लाइन क्लीयर होगी और क्लियर रखी जायेगी।
प्राइवेट नं. (शब्दों में).................... (अंकों में) ..................

मैंने इसकी विषय–वस्तु को समझ लिया है।

............................................
लोको पायलट/मोटरमेन के हस्ताक्षर

.........................................
ट्रेन मैनेजर के हस्ताक्षर

...........................................
स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर व मोहर
समय ........ बजकर .......... मिनट

**अनुदेश**

1. जो लागू न हो उसे काट दें।
2. इस प्राधिकार पर चलने वाले लोको पायलट इस फॉर्म के पीछे उल्लिखित अनुदेशों का पालन अवश्य करें।

## महत्वपूर्ण अनुदेश

इस प्राधिकार पर चलने वाले लोको पायलट/मोटरमैन निम्नलिखित अनुदेशों का पालन अवश्य करें।

| | | |
|---|---|---|
| (1) | गति अधिक न हो | इकहरी लाइन पर |
| | (क) दिन में | 15 कि.मी.प्र.घं. |
| | (ख) रात में अथवा जब दृश्यता बाधित हो | 10 कि.मी.प्र.घं. |
| | (ग) धुंध, कोहरे अथवा तूफानी मौसम में या आंधी चलते समय | लालबत्ती एवं पटाखों के साथ दो व्यक्तियों द्वारा आगे चलते हुए पैदल गति |

(2) दिन और रात दोनों के समय लोको पायलट को किसी सुरंग में तब तक नहीं घुसना चाहिये जब तक कि वह यह मालूम न कर ले कि सुरंग क्लीयर है। यदि इस विषय में शंका हो तो, गाड़ी को एक रेल कर्मचारी द्वारा जो हाथ–सिगनलों और पटाखों से सुसज्जित हो, मार्गदर्शित किया जाना चाहिये।

(3) रात के समय यदि इंजन पर इलेक्ट्रिक हैड लाइट न लगी हो या इलेक्ट्रिक हैड लाइट खराब हो तो उस गाड़ी या लाइट इंजन से आगे पर्याप्त दूरी पर पटाखों से युक्त एक रेल कर्मचारी आने वाली किसी दूसरी गाड़ी को रोकने के लिए एक लाल बत्ती आगे उसे दिखाते हुए चलेगा। स्वचालित वाहन/अन्य वाहन के मामले में भी सावधानियॉं अवश्य बरती जानी चाहिये।

(4) हर समय बाहर की ओर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये और लोको पायलट रेलपथ पर प्रत्यक्ष या अचानक उत्पन्न होने वाले किसी भी अवरोध से पहले रूकने के लिए अवश्य तैयार रहें।

(5) अगले स्टेशन के पास पहुॅंचते समय, लोको पायलट अपनी गाड़ी इंजन/लाइट इंजन/ट्रॉली/टावर वैगन/डीजल रेल कार/स्वचालित वाहन/अन्य वाहन को प्रथम रोक सिगनल के बाहर रोकेगा और इसके पश्चात् वह लगातार सीटी बजायेगा अथवा स्वचालित वाहन में यदि हॉर्न की व्यवस्था हो तो उसे विशेष अनुदेश के अनुसार बजायेगा। यदि 10 मिनट के भीतर स्टेशन से कोई न आये तो सहायक लोको पायलट/स्टेशन मास्टर / गाडी प्रबंधक को स्टशेन मास्टर को गाड़ी/लाइट इंजन/स्वचालित इंजन/अन्य वाहन के आगमन के बारे में सूचित करने हेतु भेजा जायेगा अथवा यदि सिगनल पोस्ट टेलीफोन की व्यवस्था हो तो इसके जरिये या संचार के किसी अन्य माध्यम द्वारा, यदि व्यवस्था हो तो, सम्पर्क करेगा।

फॉर्म सं. टी/510
क्रम सं. ..............

(जोन का नाम) रेलवे

## सिगनल रहित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए प्राधिकार
(रिकार्ड/लोको पायलट)

स्टेशन ....................                                                                 समय ............घंटा ..........मिनट
दिनांक ...................

गाड़ी सं...............................................विवरण .......................अप/डाउन के मोटरमैन/लोको पायलट को

आपको प्राधिकार पत्र धारक द्वारा मार्गदर्शित होते हुए गाड़ी की **गति 15 कि.मी.प्र.घं. से अधिक न रखते हुए** सावधानीपूर्वक प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। आपकी गाड़ी एक सिगनल रहित लाइन पर ली जा रही है इसलिए आप अपनी गाड़ी को लाइन नं. .................................. (शब्दों में) .............. (अंकों में) की तरफ के सम्मुख कॉटों पर तब तक खड़ी रखेंगे जब तक आगे बढ़ने के लिए हाथ सिगनल नहीं दिया जाता।

..............................................................
स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर एवं मोहर

लोको पायलेट / मोटरमैन के हस्ताक्षर -----दिनांक-----समय-----घंटा-----मिनिट